घटने की बात होती है, जहां पर कोई देश हमारी जमीन को नोचता है, कोई विदेशी हमारी भूमि को दबोचता है तो वह शांति के पक्ष का समर्थन करते हैं। लेकिन जब वहां राष्ट्र का सेनानी जाता है तो जैसी कि कहावत है कि अपने द्वार पर कुत्ता भी बलवान होता है, उसी तरह से अपने घर में अपने सत्याग्रहियों के साथ छेड़खानी करते हैं।

अभी एक प्रश्न उठाया गया कि माननीय सदस्य ने शपथ ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब इस सदन से किसी माननीय सदस्य को एम० पी० चुना जाता है तो उसकी एम० पी० बनने की विधिवत घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। तो यह आवश्यक था कि एम० पी० का सम्मान उनको मिलना ही चाहिये था, और उनके साथ जाने वाले लोगों का भी सम्मान होना चाहिये था, कारण कि वह राष्ट्रीय सेनानी हैं, राष्ट्रीय सेनानियों का सम्मान होता आया है और होना चाहिये। मैं चाहता हूं सरकार इन सम्माननीय सेनानियों के साथ जो गड़बड़ी की गई है, अन्याय किया गया है उसकी जांच करे और जिन लोगों ने अन्याय किया है उनको उचित दंड दिया जाय।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Mr. Shukla, have you anything to say?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA): Not on this.

श्री सुन्दर सिंह भंडारी : What about my question? यह जो माननीय शेजवलकर जी ने 27 तारीख को प्राहिबिटरी एरिया में प्रवेश किया और 28 को वह गिरफ्तार किये गये और उनके साथ जो आदमी गए, सत्याग्रह करने के लिये, और हमारी जो जानकारी है कि दिन भर धूप में परेशान किया गया, पानी नहीं दिया गया, तो क्या यह केन्द्र की सूचना के अनुसार किया जा रहा है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से इस बात की हमें संतुष्टि की जाय कि जो कुछ व्यवहार वहां पर सत्याग्रहियों के साथ किया जा रहा है इसमें केन्द्र की कुछ सूचना है या नहीं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): You can find out Mr. Shukla.

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA: Sir, as far as my present information goes, this is not a fact. But in any case, since this matter has been raised in this House, I shall check up the position. But I do not think thig could be the position.

श्री जे० पी० यादव : मंत्री महोदय ने कहा, मुझे कोई सूचना नहीं है। एक ही सांस में वे सब चीजों का उत्तर देने का प्रयास करते हैं और दूसरी सांस में कहते हैं सूचना नहीं है। तो दोनों में कौन बात सही है। अगर उनको सूचना नहीं है और जो माननीय सदस्यों ने कहा वह ठीक नहीं है तो उन्हें दोनों में से एक बात को कहना चाहिये।

उपसभाध्यक्ष (श्री महाबीर प्रसाद भार्गव) : अभी तो उनके पास यही सूचना है। बाकी पता करेंगे।

T

THE BIHAR AND UTTAR PRADESH (ALTERATION OF BOUNDARIES) BILLS, 1968.

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (**श्री विद्या चरण शुक्ल**) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन तथा उससे संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने वाले विधेयक पर, जिस रूप में वह लोक सभा द्वारा पारित किया गया है, विचार किया जाए।"

t["That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."]

t[ ] English translation.

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरह का विधेयक आज इस माननीय सदन के सामने आया है। इस विषय के बारे में माननीय सदस्यों को ज्ञात है, कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों को और खास कर बलिया, शाहबाद और सारन जिले के रहने वाले किसानों को, बहुत समय से कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसका इतिहास काफी लम्बा है। जो आज की वर्तमान सीमा बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच की है वह 1867 में, आज से लगभग 101 साल पहले, एक सरकारी नोटिफिकेशन के द्वारा निर्धारित की गई थी और उस सीमा का आज तक पालन किया जा रहा है। वह सीमा है गंगा और घाघरा की जो गहरी धारा है उससे उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच का क्षेत्र जो सीमा यहीं तक मानी जाती है। इधर उधर के कारणों से, कभी कभी बाढ़ के कारण कभी कभी दूसरे कारणों से, उन नदियों की धाराएं इधर से उधर होती रहती हैं और इधर से उधर होने से बहुत सा भूभाग या तो बिहार में चला जाता है अतिरिक्त रूप से या फिर उत्तर प्रदेश में चला जाता है। उससे जितने रेवेन्यू रिकार्ड होते हैं उन्हें फिर दो सरकारों के बीच फेरबदल किया जाता है। उसके साथ पंचायत के जो कर वसूल किये जाते थे उसमें भी बड़ी तकलीफ होती थी। किसानों को बड़ी तकलीफ होती थी, कई हत्याएं हुई और कई मुकदमे चले। इस पर दोनों राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से निवेदन किया 1948 में कि इस विवाद का एक हल निकाला जाय। उस पर तरह-तरह के विचार हुए और अंत में तय किया गया, दो मुख्य मंत्रियों ने तय किया, कि भारत के प्रधान मंत्री महोदय को यह कहा जाय कि वह दोनों के बीच में समझौता कराने का यत्न करें। तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसके संबंध में श्री चंदूलाल त्रिवेदी को वहां का आर्बिट्रेटर नियुक्त किया और उनसे कहा कि इसके बारे में वह अपनी राय दें। श्री चंदूलाल त्रिवेदी की राय भारत सरकार को मिली; उसके बाद इस राय को उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों के पास भेजा गया कि वह अपनी अपनी विधान सभाओं के सामने इसको पास करके इसके बारे में उनकी राय हम लोगों के सामने भेजें। जब उनकी राय हमारे पास आई, उसके ऊपर यह एक विधेयक हमने तैयार किया है और जैसा आप सब जानते हैं लोक सभा द्वारा पास कर लिया गया है। अब वह विधेयक हमारे सामने है। चूंकि यह दोनों सरकारों के समझौते से और बहुत सोच विचार के बाद आया है, इसलिये इसके पारित होने के बाद वहां के दोनों राज्यों के जो किसान हैं उन्हें बहुत फायदा होगा। जो झगड़े वहां बहुत बढ़ते रहते हैं वह अच्छी तरह से सुलझ जायेंगे और उससे सब का फायदा है, नुकसान किसी का नहीं है। इसी लिये मेरा यह निवेदन है माननीय सदन से कि बिना उसे किसी प्रवर समिति के पास भेजे हुए, यहीं पर इसको पारित करें जिससे यह मामला ठीक से और जल्दी से हल हो सके। यदि इसमें ऐसी बात होती, हो कोई शर्त या शंका की गुंजाइश होती या आगे विचार करने की आवश्यकता होती, तो इसे अवश्य ही सेलेक्ट कमेटी के पास भेज सकते थे। परन्तु मैं समझता हूं अभी आवश्यकता इस बात की है कि इस पुराने विवाद से जो बहुत दिनों से चल रहा है बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमाओं में रहने वाले सब किसानों को बहुत तकलीफ हो रही है इसलिये इस विधेयक में और ज्यादा देर नहीं होनी चाहिये। इस संबंध में जो तरह तरह की संवैधानिक और दूसरी आवश्यकताएं थीं उनको पूरा करने में काफी समय लग गया था और मैं समझता हूं अब इसमें ज्यादा समय नहीं लेना चाहिये। इसमें कोई राजनैतिक महत्व का प्रश्न नहीं है, दूसरी तरह का भी कोई महत्व नहीं है। इसका महत्व केवल इतना है कि वहां के रहने वाले किसानों को, सीमावर्ती रहने वाले किसानों को इससे बहुत फायदा होगा और

इससे आगे चल कर जो उनको पिछले सालों से तकलीफें उठानी पड़ रही हैं उनसे उन्हें छुटकारा मिल जाये । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदन इस बिल को सर्वसम्मति से पारित करेगा ।

श्री रेवती कान्त सिंह (बिहार) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि :

"लोक सभा द्वारा पारित बिहार और उत्तरप्रदेश की सीमाओं में परिवर्तन करने तथा उससे संबंधित विषयों का विधेयक राज्य सभा के निम्नलिखित 15 व्यक्तियों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाये और समिति को अनुदेश दिया जाये कि वह आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में अपना प्रतिवेदन दे दें :

1. श्री ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह
2. श्री शीलभद्र याजी
3. चौधरी ए० मोहम्मद
4. श्री अनन्त प्रसाद शर्मा
5. श्री सूरज प्रसाद
6. श्री बी० एन० मंडल
7. श्री ए० डी० मणि
8. श्री बी० बी० दास
9. श्री जगदम्बा प्रसाद यादव
10. श्री रुद्र नारायण झा
11. श्री राजनारायण
12. श्री बालकृष्ण गुप्त
13. श्री चित्त बासु
14. श्री गोडे मुराहरि
15. श्री [illegible]

t["That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of 15 Members, namely:

1. Shri B. K. P. Sinha
Shri Sheel Bhadra Yajee
Shri Chaudhary A. Mohammad
Shri Anant Prasad Sharma
Shri Suraj Prasad
Shri B. N. Mandal
Shri A. D. Mani
Shri Banka Behary Das
Shri J. P. Yadav
Shri R. N. Jha
Shri Rajnarain
Shri Balkrishna Gupta
Shri Chitta Basu
Shri G. Murahari
Shri D. Thengari

with instructions to report by the-last day of the first week of- the next session."]

The questions were proposed.

SHRI AKBAR ALI KHAN (Andhra Pradesh): May I just ask for a clarification from the Minister? Have the Assemblies by a majority approved this?

श्री विद्या चरण शुक्ल : मुझे जहां तक ज्ञात है, उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने इसके ऊपर एक प्रस्ताव पास किया है और बिहार की विधान सभा में इसके ऊपर बहस हुई और कोई एक प्रस्ताव पास नहीं हुआ है ।

SHRI DAHYABHAI V. PATEL (Gujarat): Sir, if this Bill has received the approval of the Bihar and the Uttar Pradesh Assemblies, perhaps there is not much to say about it. But I would like to take this opportunity to make a few-suggestions to Government in this matter, in the context of the situation that we have. Bihar and Uttar Pradesh are two of the largest provinces in this country. And yet, with due respect, may I say that perhaps they are the most ill-administered provinces in this country?

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE (Bihar): Question.

t[J English translation.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: You use the word without understanding it. I am giving you examples. In the matter of literacy, they are the poorest . . .

SHRI SHEEL BHADRA YAJEE: Nonsense.

SHRI DAHYABHAI V. PATEL: No effort is made to remove illiteracy. We have a drive in all the States, particularly to promote adult literacy.

3 P.M.

I find hardly anything being done in both the States. In the matter of agriculture, nature has provided them with abundant water supply. The rivers that flow through these States should make them surplus State to produce food not only for this country but for export also. But we had the sorry spectacle of famine in Bihar and which is now used by the Congress Government in season 'and out of season for everything. We have had two famines. With the waters that we have and the fertile land that we have in Bihar, it is a disgrace that we should ever have famine even in spite of the two droughts. The water table is not 15 feet normally and even with two famines the water table never went down below 25 feet. The poor agriculturist was not served by the State Government in a proper manner. He is trained like a person who is trained to walk on the crutch and refuses to throw away the crutch. Not only charity from this country but charity from the whole world comes when you say there have been two droughts and famines in India. The Government of Bihar should be in a position to tackle this in such a way that these things do not recur.

Sir, in this connection, I would contrast what has happened. I had pointed out to the former Food Minister the manner in which drought relief had been tackle^ in Gujarat and Mr. Subramanian had to admit that drought reliei measures in Gujarat were taken in such a way that those measure$_s$ were of permanent benefit. I would like to ask whether similar measures have been taken in Bihar. What is the use of people being taught to rely perpetually on aid?

The other point that I would like to urge is that instead of these little border adjustments and the border rivalries that flow because of the different sizes of the States, giving them that much representation in Parliament, is it not time for us to consider whether the sizes of these States or other States in comparison should be made such that they are more or less equal, that one State does not dominate over the whole politics of this country? That is a matter which really needs to be looked into. And I would suggest to the Home Minister that when he is thinking of these little border adjustments, he should enlarge **bis** mind a little more and find out the manner in which such things would not become necessary. I have done a lot of touring in Bihar and Uttar Pradesh. I know there are certain areas of Uttar Pradesh, the eastern areas, which have particularly more affinity to the western areas of Bihar their language is perhaps more or less similar and the rivers flowing make their boundaries change. Therefore I do not oppose the Bill in its present form. But is it not time to consider all these aspects and bring forward a Bill that would afford permanent benefit to these areas and to the country as a whole instead of these small measures off and on?

श्री रेवती कान्त सिंह : उप-सभाध्यक्ष महोदय, मैं उन लोगों में से हूं जो इस बात की चिन्ता नहीं करते कि देश के अन्दर एक राज्य की कुछ जमीन दूसरे राज्य में चली जाय या दूसरे राज्य की कुछ जमीन किसी दूसरे राज्य में चली जाय । इससे कुछ बनता या बिगड़ता नहीं है । लेकिन यह जो वर्तमान बिल है उत्तर

प्रदेश और बिहार की सीमाओं में परिवर्तन करने का, उस बिल के चलते में खासतौर पर गंगा सेक्टर के संबंध में, जो बिहार के इलाके गंगा के दक्षिण में पड़ते हैं, उसके संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि शाहबाद जिले के आरा सदर और बक्सर सब डिवीजन के लगभग 50 गांव इस बिल द्वारा प्रभावित होते हैं और 15 वर्ग मील जमीन, जिस का रकबा लगभग एक हजार एकड़ होगा, उसके 15 या 20 हजार लोग इस से प्रभावित होंगे। ये वे लोग हैं जिनकी मुख्य जीविका खेती ही है। अगर ऐसा कुछ होता जैसा कि बिल से लगता है कि अमुक गांव बिहार में न रह कर उत्तर प्रदेश में चला जाता है, तो इससे कोई नुक्सान की बात नहीं होती। लेकिन मेरा एतराज तो यह है कि त्रिवेदी कमिशन की रिपोर्ट में जो नई सीमा बनने जा रही है, उसके अनुसार होने यह जा रहा है कि गांव तो रह जाते हैं बिहार में, उसकी पापुलेशन रह जाती है बिहार में, लोग रह जाते हैं बिहार में, लेकिन जमीन चली जाती है उत्तर प्रदेश में। अगर ऐसा भी होता कि लोग बिहार में रहते, जमीन उत्तर प्रदेश में जाने के बाद भी उस जमीन पर खेती करने का अधिकार उनका रहता, उस जमीन में अनाज पैदा करने का अधिकार उन का रहता, तो मुझे इस संबंध में कोई ऐतराज नहीं होता। लेकिन इस तरह की कुछ भी बात नहीं हो रही है। कहीं कहीं तो ऐसा हो रहा है कि जो गांव वर्षों से सर्वे से, रिकार्ड से बिहार में है, उन गांवों की जमीन दूसरे गांव की जमीन में डालकर सीमा तय की जा रही है। मैं आपके सामने चन्द उदाहरण देना चाहता हूं।

जो नई सीमा बनने जा रही है और सीमा रिपोर्ट के मुताबिक जो नई सीमा बनने वाली है और जो सीमा पर पिलर गाड़े जाने वाले हैं, महोदय, मैं आपका ध्यान उस पिलर संख्या 2 से लेकर 3 की ओर दिलाना चाहता हूं। पिलर संख्या 2 और तीन में कहा गया है कि मोहनपुर, मन्डरोली कांस और त्रिभुवानी इन तीनों गांवों की जमीन उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। लेकिन वास्तविकता यह है कि वहां की सरजमीन सोहरा त्रिभुवानी का ही हिस्सा है। 1855-56 के आरा के डिस्ट्रिक्ट जज के फैसले के मुताबिक और 1845 के रेवेन्यू सर्वे के मुताबिक एक मौजा सोहरा-त्रिभुवानी है। इस मौजे का कुछ हिस्सा तो बिहार में रहने दिया जा रहा है और उसका मुख्य हिस्सा उत्तर प्रदेश में जा रहा है—मोहनपुर, मन्डरौली कांस और त्रिभुवानी और पीपरपाती एक दूसरा मौजा है और 1845 के रेवेन्यू सर्वे के मुताबिक यह साबित होती है कि यह हिस्सा बिहार का है, लेकिन मोहनपुर, मन्डरौली कांस और त्रिभुवानी का नाम देकर पीपरपाती की जमीन भी उत्तर प्रदेश को दी जा रही है। इस तरह से वहां की जमीन और मौजा का नाम ही बदल दिया जा रहा है। पीपरपाती की जमीन अगर नये कानन के मुताबिक उत्तर प्रदेश में चली जाती है तो बिहार का किसान उस जमीन को जोत नहीं सकेगा और उत्तर प्रदेश का किसान कहेगा कि तुम जमीन के मालिक नहीं हो, इसलिए तुम जमीन नहीं जोत सकते हो।

इसी तरह से आपका ध्यान पिलर संख्या 4 से 7 तक दिलाना चाहता हूं जिसमें डोकती महाजी और डोकती को उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है और सलीमपुर महाजी, सलीमपुर परसा, महदेवा, टेकसेमर के जो गांव हैं वे बिहार को दिये जा रहे हैं। जहां तक नाम का सवाल है, डोकती और डोकती महाजी बराबर से उत्तर प्रदेश में रहे हैं और सलेमपुर, सलेमपुर महाजी, सलेमपुर परसा, टेकसेमर, महदेवा बराबर से बिहार में रहे हैं, लेकिन जो नया नक्शा बना है उस नक्शे में आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि महदेवा और टेकसेमर का नाम ही गायब कर दिया गया है। महदेवा और टेकसेमर की जो जमीन है वह पूरी की पूरी जमीन और सलेमपुर, सलेमपुर परसा, सलेमपुर महाजी दियारा की जमीन का कुछ हिस्सा काट कर के डोकती और डोकती

[श्री रेवती कान्त सिंह]

महाजी में मिला दिया गया है। अब आप सोचें कि सलेमपुर के लोग क्या करेंगे ?

मैं आप को एक सूचना दे दूं । यह सीमा परिवर्तन की बात जो उठी वह इस कारण से उठी जैसा कि मंत्री महोदय ने शुरू में बताया कि वहां आपस में झगड़े झांसे हुआ करते थे जिसके चलते बहुत खूनखराबी हुआ करती थी और उस को रोकने के लिये यह विधेयक लाया गया है। सलेमपुर दियारा वह जगह है जहां आदमी की जान की कीमत नहीं समझी जाती है, जहां एक एक इंच जमीन के लिये रोज खून होते हैं । अगर यह जमीन उत्तर प्रदेश में दे दी जाती है तो मुझ को बहुत ही सन्देह और आशंका है कि इसके बाद भी लड़ाई-झगड़े जो सरकार बचाना चाहती है वह उस लड़ाई-झगड़े को बचा सकेगी । इसके बाद तो लड़ाई-झगड़े और फसाद बढ़ते जायेंगे और वहां पर दिन-रात फौजदारियां होती रहेंगी । दुर्भाग्य से या सौभाग्य से, मेरा घर भी उस इलाके में पड़ता है और मैं वहां के लोगों को इतने नजदीक से जानता हूं कि मुझ को बहुत आशंका है कि अगर इस बात पर ठीक तरह से विचार न किया गया और बिल का जो प्रारूप है उसके अनुसार कार्य किया गया तो वहां के लड़ाई-झगड़े रुक सकेंगे । इससे तो लड़ाई झगड़े और बढ़ेंगे ।

इस बारे में मैं आप को एक इत्तिला और दे दूं कि डोकती और डोंकती महाजी के बाबू साहब सलेमपुर की उन जमीन के लिये बराबर मुकदमे लड़ते रहे हैं और किसी भी कोर्ट में उनकी डिग्री कभी नहीं हुई है। वहां हमेशा से बिहार के निवासी कचहरियों में मुकदमे जीतते रहे हैं। वैसी हालत में उतनी आसानी से वे अपनी जमीन नहीं छोड़ देंगे। इसलिये मैं नहीं चाहता कि वहां पर जो खूनखराबी होती है, जो फौजदारी होती है, वह और बढ़े । इसको मद्देनजर रख कर के इस बिल को पास करना चाहिये ।

अब मैं आपका ध्यान पिलर संख्या 10 से 12 की ओर खींचना चाहता हूं । उसमें कहा गया है कि नौरंगा को उत्तर प्रदेश को दे दिया जायगा जो अभी बिहार में है। अगर नौरंगा गांव और नौरंगा गांव की जमीन को उत्तर प्रदेश को दे दिया जाय तो मुझे कोई एतराज नहीं होता । पूरे का पूरा गांव और पूरी की पूरी जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाती तो मुझे कोई एतराज नहीं होता । लेकिन मैं आप को बतलाऊं कि प्रिवी कौंसिल के फैसले के मुताबिक और उत्तर प्रदेश और बिहार के हाई कोर्टों के फैसलों के मुताबिक सोनबरसा दियारा, ओझवलिया दियारा, रामकरही महाजी, इन गांवों को मिला कर के इन गांवों के जो अलग अलग नक्शे बने, इन गांवों को जो अलग अलग कायम किया गया, आज इस बिल के मुताबिक इन तमाम गांवों को एक साथ मिला कर के और नौरंगा नाम दे कर के उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। इसका क्या नतीजा होगा ? नतीजा यह होगा कि वह जमीन तो चली जायगी नौरंगा के नाम पर उत्तर प्रदेश को और सोनबरसा दियारा, ओझवलिया दियारा, रामकरही महाजी इन गांव के लोग जब उस जमीन से अलग किये जायेंगे और यह कहा जायगा कि यह जमीन उस गांव की नहीं है यह जमीन नौरंगा की है तो फिर उसके लिये वहां पर झगड़े झांसे होंगे और फौजदारियां होंगी ।

इस प्रकार से अब मैं आप का ध्यान ले जाना चाहता हूं पिलर संख्या 12 और 13 की ओर। पिलर संख्या 12 और 13 में पूरा ईसरपुरा नौबरार जो प्रिवी कौंसिल के फैसले के मुताबिक एक मौजा कायम किया गया था आज उसका नाम बदल कर के और उसको रामपुर कह कर के उत्तर प्रदेश में दिया जा रहा है । इसका क्या नतीजा होगा ? कहां जायेंगे वहां के लोग और उनका क्या होगा ?

अब मैं आप का ध्यान खींच करके ले जाना चाहता हूं पिलर संख्या 19 से 22 तक

पिलर संख्या 19 से 22 तक में नैनीजोर दियारा पड़ता है जो 1845 के सर्वे के मुताबिक एक बहुत बड़ा इलाका है जो नैनीजोर दियारा कहलाता है। यह नैनीजोर दियारा वह इलाका है जहां 1942 में एक ट्रक गोरों को काट कर के गंगा में डाल दिया गया था और कानों कान लोगों को पता नहीं चला। आप को सुन कर ताज्जुब होगा कि उस इलाके को नया नाम दे कर के, हंसनगर, रिकनी छपरा और बाबूचेल का नाम दे कर के, तीन हिस्सों में कांट कर के उस पूरे इलाके को उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है। अब नैनीजोर के लोग अगर उन खेतों पर जायेंगे तो साफ कहा जायगा कि यह नैनीजोर की जमीन नहीं है, यह जमीन तो है हंसनगर की, रिकनी छपरा की और बाबूचेल की। आप को इस सम्बन्ध में मैं एक इत्तिला दे दूं कि 1958 में उत्तर प्रदेश और बिहार के कलेक्टरों की जो बैठक हुई थी उस बैठक में यह तय पाया था कि चाहे गंगा के कटाव से कितनी ही सीमा इधर से उधर हो जाय, जमीन इधर से उधर हो जाय, लेकिन सलेमपुर दियारा में, नैनीजोर दियारा में हम 1845 के रेवेन्यु सर्वे को ही मानते रहेंगे। आज उस चीज को बदला जा रहा है।

इस तरह से मैं आपका ध्यान खींच कर ले जाना चाहता हूं पिलर संख्या 35 से 39 तक। इसमें कोट, दियारा कोट, साहपुर, कुलहरिया, पल्लिया, रायकिशन पट्टी, सरवनपुर और बेलसिपा ये सारे गांव उत्तर प्रदेश में दिये जा रहे हैं। मैं आप को बतलाऊं कि प्रिवी कौंसिल के फैसले के मुताबिक इन सारे गांवों को मिला कर के उमरपुर दियारा, उमरपुर जोत, मिश्रान, बड़का गांव, केशवपुर और राजपुर की बस्ती कायम की गई थी। उन बस्तियों को ही आज नई बस्तियों में कनवर्ट किया जा रहा है, बदला जा रहा है और उनको दूसरे नाम दिये जा रहे हैं। मैं आप को याद दिला दूं कि 1908 में बलिया, शाहाबाद, गाजीपुर के कलेक्टर और महाराजा डुमराव और नरही के बाबू साहब में एक ऐग्रीमेंट हुआ था जिस एग्रीमेंट के मुताबिक ये 13 के 13 गांव बिहार में पड़ते थे। इसमें सबसे ज्यादा मजेदार बात यह है कि पिलर संख्या 35 से 39 के बीच उमरपुर दियारा जो पूरे का पूरा आता है उस दियारे का एक तरफ का हिस्सा और उधर दूसरी तरफ का हिस्सा तो दिया जाता है बिहार को और उसके बीच में जो हिस्सा पड़ता है उस हिस्से को दिया जाता है उत्तर प्रदेश को। अब नतीजा क्या होगा, इधर भी बिहार के किसान खेती करेंगे, उधर भी करेंगे, बीच में उत्तर प्रदेश रहेगा। क्या स्थिति रहेगी ? झगड़ा होगा।

दूसरी बात की ओर मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा कि 1790 में महाराजा डुमराव और कलेक्टर शाहबाद के बीच एक एग्रीमेंट हुआ था कि गंगा के कटाव में जो जमीन चली जायगी उसके लिए महाराजा डुमरांव रेन्ट में कोई रेमिशन, छूट की मांग नहीं करेंगे, अगर कोई जमीन गंगा के उस पार चली जायगी—उस पार भी उनकी जमींदारी थी—तो उसके लिए भी अधिक रेन्ट वे नहीं देंगे। इस हिसाब से यह जमीन बिहार को जानी चाहिए। एक चीज और बतला दूं। उमरपुर दियारे के जिन गांवों की जमीन को उत्तर प्रदेश को दिया जा रहा है उस जमीन पर करीब 500 परिवार बसते हैं, 500 परिवार मुनहसिर करते हैं। जब सी० आई० बी० को इस मामले की जांच के लिए भेजा गया था तो—माननीय गृह मंत्री जी देखेंगे, सी० आई० बी० रिपोर्ट की कंडिका सी-1 से लेकर सी०-11 तक में साफ लिखा गया है—जो भी गवाहियां ली गईं, जो भी एवीडेन्स लिया गया उसमें उत्तर प्रदेश के नरही के लोगों से ही पूछा गया, उमरपुर दियारे के उन लोगों से जो खेतिहर हैं, पिछड़े वर्ग के हैं, हरिजन हैं, जो लोग उस जमीन पर खेती करते हैं, जो उस पर मुनहसिर हैं, उनमें से एक आदमी से भी पूछा नहीं गया। ऐसी हालत में मुझको बहुत एप्रीहेंशन है, बहुत सन्देह है। मुझको एप्रीहेंशन यह है कि जिस

[श्री रेवती कान्त सिंह]

उद्देश्य से यह बिल पास किया जा रहा है, जिस उद्देश्य से सरकार इस कानून को बनाना चाहती है उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं कहता हूं कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी इस पर विचार करने के लिए कुछ समय दिया जा सकता है। इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इसको इस सभा की प्रवर समिति के, सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय और अगले सेशन के पहले सप्ताह के अन्तिम दिन तक वह अपनी रिपोर्ट दे दे। मान्यवर, इतने दिन इस कानून के न पास होने से कोई मामला नहीं बिगड़ा तो एक महीने में कोई बहुत बड़ा वज्र नहीं टूट जायगा, जो स्थिति है वह रहेगी। बल्कि इस कानून के पास किए जाने के बाद ही स्थिति के बिगड़ने की ज्यादा सम्भावना है। मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, हम लोग तो उम्मीद करते थे कि जो यह एरिया बक्सर सबडिवीजन और आरा सदर सबडिवीजन का है जिसके एक नहीं, दो-दो मंत्री हैं केन्द्र में —डा० राम सुभग सिंह और बलीराम भगत—वे उसका ध्यान रखेंगे।

श्री डाह्याभाई व० पटेल : जगजीवन राम भी वहाँ के हैं।

श्री रेवती कान्त सिंह : जगजीवन राम उस इलाके के नहीं हैं। जो मैं कह रहा हूं उसको समझिए। वैसे तो सारा बिहार ही उनका है। मेरे कहने का मतलब यह था कि इस पर्टीकुलर क्षेत्र के, इस पर्टीकुलर कांस्टीट्एन्सी के दो दो मंत्री हैं लेकिन हम लोगों के साथ यह जो असावधानी से भी अन्याय होने जा रहा है उसकी ओर ध्यान नहीं गया है। हम लोग यह उम्मीद करते थे कि इस अन्याय को रोकने में वे लोग समर्थ होंगे, लेकिन पता नहीं क्यों उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः इस हाउस से, इस सदन से आग्रह करूंगा कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सिपुर्द किया जाय क्योंकि एक महीने में कोई वज्र नहीं गिर जायेगा और एक महीने में सेलेक्ट कमेटी

से विचार किया जाय, तो सारे फैक्ट्स और फिगर्ज जो हमारे पास हैं, दर्जनों नक्शे हमारे पास हैं जिन्हें रखने का यहाँ मौका नहीं है उस सेलेक्ट कमेटी की बैठक हो, कोई इम्पार्शियल बाडी की बैठक हो तो उसमें उन सारी बातों को रखा जा सकता है और रिकार्ड और कागज से समझाया जा सकता है कि इसको मद्देनजर रखते हुए इस बिल में तरमीम की जाय।

मुझ को यह भी अफसोस है कि जब 1963 में त्रिवेदी कमीशन बैठा उस समय बिहार में जो सरकार थी उस सरकार ने बिहार के मामले को ठीक से प्लीड नहीं किया, ठीक से रखा नहीं। मुझको यह इत्तिला है कि जो गाँव के लोकल लोग थे, जो सम्बन्धित लोग थे उनकी गवाहियाँ भी लेने में इनकार किया गया। त्रिवेदी जी ने भी उनकी गवाहियाँ नहीं ली और सारी गवाहियाँ पटना के सेक्रेटरियट से दी गईं और सेक्रेटरियट के रिकार्ड से गाँवों की जमीन का फैसला नहीं हो सकता। जब बाउन्डरी बांटने का सवाल था, सीमा निर्धारित करने का सवाल था, वहाँ के लोकल लोगों की राय लेनी चाहिए थी, लोकल्ली पूछताछ करनी चाहिए थी जो नहीं हुई। ऐसी हालत में मैं पुनः सदन से निवेदन करूंगा कि हमारा मोशन पारित किया जाय और इस बिल को प्रवर समिति के सिपुर्द कर दिया जाय।

श्री शीलभद्र याजी : माननीय वाइस चेयरमेन महोदय, यह विधेयक बहुत देरी से आया। बहुत दिनों से झगड़े चल रहे हैं और जब यू० पी० बजट पर बहस हो रही थी तो मैंने इसका जिक्र भी किया था। ठीक है, हमारे सिंह जी ने कहा, हम इसको मानते हैं कि बिहार की भूमि यू० पी० में चली जाय या यू० पी० की जमीन बिहार में चली जाय, इसमें हम लोग यह समझते हैं कि जमीन बाहर नहीं जा रही है। लेकिन हालत यह है कि गाँव वाले, बेटा मर जाय तो उसको सहन कर लेंगे लेकिन कहीं जमीन गई तो उस जमीन की जो क्षति होती है उसको वे बर्दाश्त नहीं करते

बरस से ये झगड़े चल रहे हैं और सरकार के पास अब कोई चारा नहीं था कि इस विधेयक को न लाती । उस रोज हमारे साथी ने कहा कि राज्य सभा में जब यह विधेयक आए तो यह सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, मैंने भी कहा था कि जाना चाहिए लेकिन यह कितने दिन तक चलेगा । झगड़े होते जा रहे हैं और कभी न कभी सफाई होगी । उन्होंने ठीक बताया कि बिहार के बहुत से गाँव बिहार में रहते हैं जमीन उनकी यू० पी० में चली जाती है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट, और मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट की यही हालत है । इसी तरह यू० पी० के कुछ गाँवों की जमीन भी बिहार में चली आई है, ऐसी बात भी है । नौरंगा की चर्चा उन्होंने की । वह पहले उत्तर प्रदेश में बलिया डिस्ट्रिक्ट में था, अब वह चला आया है शाहपुर में । नैनीजोर के बहुत से झगड़े हैं । उन झगड़ों को सुलझाने का क्या तरीका है । इसलिए त्रिवेदी कमीशन भी बैठा । यू० पी० गवर्नमेंट ने इसको स्वीकार किया । हमारे साथी ने बिहार की उस वक्त की गवर्नमेंट की शिकायत भी की । अब हमारा निवेदन है सबसे, विरोधियों से भी कि सालों से झगड़े हो रहे हैं, नाहक किसानों की जानें जाती हैं और उससे हमारा नक्सान भी बहुत हो रहा है ।

श्री जे० पी० यादव (बिहार) : 'विरोधी सदस्यों' का स्पष्टीकरण कर दिया जाय ।

श्री शीलभद्र याजी : कांग्रेस के जो सदस्य विरोधी हैं और उधर बैठे हैं वे सब विरोधी सदस्य हैं ।

श्री जे० पी० यादव : वहाँ विरोधी तो दोनों ओर के किसान हैं ।

श्री शीलभद्र याजी : अभी विरोधी दल की बात कर रहा हूं ।

विरोधी दल के स्वतंत्र पार्टी के एक सदस्य विधेयक पर बोलने उठे तो बोले तो नहीं, बिहार को गाली दे दी, बिहार की सारी चीजों को बरा बताया, उन्होंने कह दिया कि बिहार के लोग अकर्मण्य हैं, उनको गुस्सा आ गया ।

श्री निरंजन वर्मा (मध्य प्रदेश) : उन्होंने तारीफ की थी, आपको गाली लगी ।

श्री शीलभद्र याजी : उनको गुस्सा है, उनकी धर्मपत्नी वहां से खड़ी हुई लेकिन हार गई, इसलिए वे गुस्से हैं । उनको मालूम होना चाहिए कि गांधी जी को महात्मा बिहार ने बनाया, महावीर जैन वहीं पैदा हुए । तथा गुरु गोविन्द सिंह भी वहीं पैदा हुए ।

एक **माननीय सदस्य** : गौतम बुद्ध ।

श्री शीलभद्र याजी : गौतम बुद्ध नहीं, वे राजा-महाराजा थे ।

श्री जे० पी० यादव : एक बात मैं बताना चाहता हूं कि बिहार में एक महावीर जैन ही नहीं पैदा हुए, एक और जैन भी पैदा हुआ जिसने आपको हराया था पार्लियामेंटरी सीट के लिए ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Jadavji you have to address through the Chair, not directly the Members.

श्री शीलभद्र याजी : आपने उस जैन की चर्चा कर दी, जिसने 7 लाख रुपये में बिहार के 40 एम० एल० ए० खरीद लिए थे, आपकी पार्टी के सदस्य भी खरीदे गए, अगर चाहते हैं तो बहुत सुना सकता हूं ।

वाइस चेयरमेन साहब, बात यह है कि दोनों सूबों के जो किसान हैं कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे, परिस्थिति अच्छी नहीं है । हमारे सामने चारा नहीं रह गया कि क्या करें । इसको नहीं स्वीकार करते हैं तो लड़ाई-झगड़े रहते हैं । अभी सेलेक्ट कमेटी के लिए एक प्रस्ताव आया हुआ है । कोई भी नहीं जानता कि सेलेक्ट कमेटी कितने दिन चलेगी, सेलेक्ट कमेटी की दशा क्या होगी, लोक सभा इसको मानने वाली है या नहीं मानने वाली है । इसलिये मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वह अपना प्रस्ताव, अपना संशोधन वापस ले लें ।

[श्री शीलभद्र याजी]

मेरा भी नाम दे दिया गया है तो मैं नाम वापस लेता हूं और मैं उनको भी निवेदन करता हूं कि इस विधेयक को मान लिया जाय। वाइस-चेयरमेन साहब, जब तक इस विधेयक को नहीं मानते हैं तब तक झगड़ा और भी बढ़ता रहेगा। इसलिये हमारी उन लोगों से जो कि इसको प्रवर समिति में ले जाना चाहते हैं उनसे पुरजोर अपील है कि अब हमारे सामने कोई चारा नहीं है। यू० पी० के और बिहार के जो किसान हैं सब बराबर हैं, हां कुछ गल्तियां जरूर हुई हैं इन गांवों को इधर से उधर ले जाने में लेकिन प्रवर समिति भी बनेगी तो वह सुधरने वाली नहीं है। एक बार तय कर लेना चाहिये। अब अगर यू० पी० का कहा जाय तो मैं समझता हूं कि यू० पी० में भी पांच कनौजिया वाली बात है, बंगाल से ले कर आसाम तक के सब लोग आये और यह सब पुरानी बात है, तो जो जो उत्तर प्रदेश के किसानों के नेता हैं, जो राजनैतिक पार्टियों के नेता हैं उनका भी कर्त्तव्य हो जाता है और बिहार के जो नेता हैं उनका भी कर्त्तव्य हो जाता है क्योंकि हम बड़े बड़े नारे लगाते हैं कि हम सब भारतीय हैं, नेशनल इंटेगरेशन की बात करते हैं, तो इन छोटी-छोटी चीजों को ले कर के ज़मीन किधर गई नहीं इस झगड़े को नहीं बढ़ाना चाहिये। जितनी राजनैतिक पार्टियां हैं उनके आपके जरिये यह दरख्वास्त है कि इस विधेयक को मानें। जब तक यह नहीं माना जाता है तब तक यह झगड़ा चलता रहेगा। हर साल बहुत से किसान फौजदारी करते हैं उनकी मृत्यु होती है और उसको बचाने का तरीका यही है कि जल्दी से जल्दी इस विधेयक को पास कर के इसके मुताबिक काम हो और जो राजनैतिक पार्टियां हैं और किसानों की संस्थाएं हैं उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि वह किस नों को समझायें-बुझायें। मैं जानता हूं कि पचासों गांव यू० पी० में थे अब बिहार में चले आये और फिर तीन साल के बाद वहां उधर चले जाते हैं, लेकिन उससे कोई गड़बड़ नहीं होती है। असल में होता यह है कि जमीन के लिये काफी झगड़ा होता है, तो एक बार इसका अंतिम निर्णय कर के उस पर अमल हो। इसमें भी बहुत देर हुई है। लेकिन देर होने के बाद भी यह जो विधेयक आया है और जो लोक-सभा ने पास कर दिया है उसको हमें पास करना चाहिये। यह ज़रूर है कि अगर लोक-सभा से पास नहीं होता तो हम कहते हैं कि यहां हम कुछ संशोधन रखें, इस तरह की कोई बात करते, लेकिन अब कोई चारा नहीं सिवाय इसके कि इसको स्वीकार करें। यदि कुछ दिखाने के लिये घड़ियाल के आंसू बहाना शुरू कर दें तो इससे तो काम चलने वाला नहीं है। इसलिये हमारी सभी सदस्यों से,खास कर के जो उत्तर प्रदेश के और बिहार के सदस्य हैं जो कि इसमें ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनसे यह अपील है कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से मान लें। मैं अपने साथी सिंह जी से भी दरख्वास्त करूंगा कि उनका जो प्रवर समिति में भेजने का संशोधन है उसको वह वापस ले लें और वह भी इसको स्वीकृति दे दें। जो एक चीज हुई है इसको मान लेना चाहिये। अगर प्रवर समिति में भेजते हैं तो इससे ज्यादा देर हो जायगी इसलिये उनसे भी दरख्वास्त है कि जो उनका प्रवर समिति में भेजने का संशोधन है उसको वापस ले लें और इस बिल को पास कर के हम लोगों का कर्त्तव्य हो जाता है, जो राजनैतिक पार्टियों के लोग हैं और जो किसान संस्थाओं के लोग हैं उनका कर्त्तव्य हो जाता है कि दोनों प्रान्तों के किसानों को समझा-बुझा कर मिलायें जुलायें और जो थोड़ी सी ज़मीन के लिये झगड़ा हो रहा है, नाहक जानें जाती है उसको हम बचाने की चेष्टा करें।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का तहेदिल से नहीं, लेकिन इसका अनुमोदन करता हूं, इसका समर्थन करता हूं।

SHRI BRAHMANAND PANDA (Orissa): Sir, on a point of order. Sir, in this House the Chair is supreme. But I find that when a Minister goes out, some Members say "Namaste" to him. Is it proper to do

so? Is it proper that Ministers should be saluted in this way in the House? That can be done in the lobby or in the Central Hall. I do not know the proper position and you will kindly explain it to us. Should we do it to a Minister who is only a Member in this House just as any other Member?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): Hon. Members know the rules and they should try to adjust themselves. It is not a point which requires any ruling.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): They want to be in the good books of the Ministers.

SHRI BRAHMANAND PANDA: The Ministers should not accept such Namastes.

श्री ज० पां० यादव : श्रीमन्, यह विधेयक इस सदन के सामने प्रस्तुत किया गया है। वैसे तो बिहार और उत्तर प्रदेश सदा-सदा से ही भाई के समान रहता आया है और जैसे कि अनेक प्रदेशों में थोड़ी सी जमीन या थोड़े से पानी के लिये अनेक प्रकार के झगड़े, दंगे-फसाद होते हैं वैसे आज तक इन दोनों प्रदेशों में कमी नहीं हुये और आज तक इनमें भ्रातृभाव का प्रदर्शन होता आया है और इसका सम्बन्ध भी राम और जानकी के समान ही मधुर रहा है और इस अवसर पर मैं नहीं चाहता कि इस बिल के जरिये कुछ ऐसी बातें इस सदन में उठ जांय जिससे कि हमारे इन दोनों प्रदेशों में कटुता का आविर्भाव हो लेकिन जब विधेयक इस सदन में उपस्थित हो ही गया है और एक माननीय सदस्य ने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है और हमारे माननीय सदस्य श्री शीलभद्र याजी ने यह प्रयास किया है कि यह बिल प्रस्तावित रूप में ही पारित हो और इसमें विलम्ब न हो लेकिन उनकी बात में दम नहीं था, यदि दम रहता तो वह जोर से ऐसा कह सकते थे, उनके हृदय में भी कुछ बातें छिपी हुई थीं। इसलिये मैं चाहता हूं कि वह बातें जो छिपी हुई हैं वह स्पष्ट हो जायें, दोनों प्रदेशों के बीच में कोई मनोमालिन्य न रहे। जब इतने दिन तक टल गया है तो अच्छा है कि दोनों प्रदेशों के प्रमुख सदस्य आपस में बैठ कर यह देख लें कि सचमुच में जमीन के मासले में और कौन सी कार्यवाही ठीक-ठीक की जा सकती है। मैं एक उदाहरण सदन के सामने रखना चाहता हूं। मेरे सामने ही बिहार विधान सभा में यह बिल प्रस्तुत किया गया था और उस पर विधान सभा में जो विचार व्यक्त किया गया था वह नटशेल में यह था कि बिहार प्रदेश की जो तात्कालिक सरकार थी उसने केस को त्रिवेदी जी के सामने ठीक ढंग से प्रस्तुत नहीं किया था। यह सर्वमान्य विचार विधान सभा का था जिस समय कि बिहार विधान सभा में यह बिल प्रस्तुत किया गया था। वैसे बिहार विधान सभा ने भी कोई कटुता इस बिल पर प्रकट नहीं की थी फिर भी यह आग्रह जरूर किया था कि बिहार प्रदेश के कुछ ऐसे गांव जा रहे हैं जिन्हें उत्तर प्रदेश में नहीं जाना चाहिये था। जहां तक जनता की बात है उसकी गम्भीरतम समस्या यह है कि किसान इस गांव में, बिहार प्रदेश में, रह जाता है और उसकी जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाती है, अल्लुवियन और डिल्लुवियन थ्योरी के हिसाब से जब नदी का कटाव होता है तो अगर मान लीजिये कि उत्तर प्रदेश की ओर कटाव होता जा रहा है तो जमीन बिहार की ओर निकलती जाती है और उस जमीन पर जो बगल के किसान हैं उनका शनैः शनैः अधिकार होता चला जाता है, इस तरह से जब कटाव बिहार प्रदेश की ओर होता है तो जमीन उत्तर प्रदेश की ओर निकल जाती है और उत्तर प्रदेश के विकास का उस पर शनैः शनैः अधिकार होता जाता है और लड़ाई विशेष कर इसी वस्तुस्थिति पर होती है कि जो जमीन किसी समय बिहार वालों ने जोती उसको कभी उत्तर प्रदेश वाले जोतने लगते हैं

[श्री जे० पी० यादव]

और फिर उसी तरह जो जमीन उत्तर प्रदेश वाल जोतते थे उसे बिहार वाले जोतने लगते हैं। इस तरह के लिटिगेशन, इस तरह की मुकदमेबाजी वर्षों से चली आया करती है। बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों प्रदेशों के झगड़े नहीं रहने पर भी वहां इस तरह के कलह होते हैं, इस तरह के विवाद होते हैं और पैमाइश के द्वारा यह विवाद निपटाये जाते हैं।

यह छोटा सा बिल जो निरीह और निस्पृह ढंग से आया है उस बिल पर संसद में, लोक सभा में और राज्य सभा में विवेचन हो रहा है लेकिन जो भारतवर्ष का वास्तविक जमीन का हिस्सा है, जिसके लिये एक-एक इंच के खातिर भारत का हर आदमी जागरूक है, भारत का हर आदमी जिसकी रक्षा के लिये मर मिटने के लिये तैयार है उस रण आफ कच्छ को बचाने के लिये सत्याग्रह कर रहे हैं, जिसकी विवेचना आपके सामने सवेरे आई है, वह न बिल के रूप में न लोक सभा में और न राज्य सभा में प्रस्तुत किया गया ताकि उस पर संसद के दोनों सदन विवेचन कर सकें और न ही शायद बिल के रूप में उसको गुजरात की विधान सभा या विधान परिषद् में प्रस्तुत किया जायेगा। जो महत्व के विषय होते हैं उन पर विवेचना उसी ढंग से होनी चाहिये थी। लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि जब हमारी जमीन, हमारी मातृभूमि का हिस्सा सदा के लिये हमसे बिछुड़ना चाहता है उसके बारे म न हम बहस करने दिया जाता है और उसको सिर्फ ट्राइब्यूनल के अवार्ड के रूप में हमारे सामने पेश कर दिया जाता है, उस पर परदा डालने की कोशिश की जाती है जब कि छोटी-छोटी बातों पर हम विशेष विचार करते हैं, हम उस पर हर संविधान के पहलुओं से विचार करते हैं लेकिन हम रण आफ कच्छ के लिये कोई विचार विनिमय नहीं कर पाये, रण आफ कच्छ के मामले में हमने संविधान के अनुसार कोई विचार नहीं किया। रण आफ कच्छ को देना ही था तो बिना संविधान का खयाल किये, बिना संविधान में परिवर्तन किये हम उस अवार्ड पर विचार नहीं कर सकते थे। हम देखते हैं कि बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, अगर किसी की जमीन दूसरे के पास चली जाय, इधर से उधर चली जाय तो वह कहीं हिन्दुस्तान से बाहर जाने की बात तो नहीं है। उत्तर प्रदेश के निवासी और बिहार के निवासी दोनों भाई-भाई हैं, दोनों देशों को जमीन, दोनों के सम्बन्ध, दोनों के रीति व्यवहार, दोनों के कारोबार एक दूसरे के प्रदेशों म होते आ रहे हैं, कोई विवाद का प्रश्न नहीं लेकिन फिर भी यहां उसके सम्बन्ध में संसद में विधेयक प्रस्तुत किया जाता है लेकिन विधेयक सचमुच में हमारे सामने प्रस्तुत किया जाना चाहिये था, जिस विधेयक के लिये हमें संविधान की अनुमति की आवश्यकता थी, जिसके लिये संविधान में परिवर्तन और संशोधन करने की आवश्यकता थी, उसका कारण मैं समझता हूं कि उस संशोधन को स्वीकार कराने के लिये हमारी कांग्रेस सरकार को बहुमत प्राप्त करने के लिये जो संख्या चाहिये थी वह आज उसके पास नहीं है। यही कारण है कि वह बिल, संशोधन करने का बिल, सरकार नहीं ला सकती थी। लेकिन यह बिल चूंकि इसमे कोई संविधान में परिवर्तन करने की कोई बात नहीं, निरीह प्राणी की तरह बिल है, उसको यहां लाया गया है। मैं समझता हूं अगर सरकार इस पर विवेचन करती है, सूक्ष्म विवेचन कर सकती है तो उसी तरह से रण-आफ कच्छ के बारे में भी करना चाहिये था। दोनों प्रदेशों में कोई भिन्नता लाने का कोई विचार नहीं है क्योंकि दोनों हमारे भूभाग हैं। मैं माननीय सदस्य श्री रेवती कांत सिंह का प्रस्ताव मानने के लिये कहता हूं

क्योंकि जहां इतना दंगा हो चुका वहां कुछ समय और लग जायेगा। उत्तर प्रदेश के बंधु और बिहार के बंधु आपस में मिल बैठ कर विचार कर लेते कि घाघरा या गंगा से जो जमीन कट कर कभी इधर से उधर हो जाती है उसका किसानों के अधिकार पर प्रभाव किस ढंग से पड़ता है उसका विवेचन कर लेते तो बड़ा अच्छा होता, जैसा हमारे माननीय सदस्य रेवती कांत ने कहा है। हम यहां जमीन का झगड़ा मिटाने के लिये चले हैं लेकिन जो वहां की हालत है, जो वहां के लोगों की प्रवृति है और अपनी जमीन के प्रति जो मोह है, उसके बारे में हम गम्भीर रूप से विचार राज्य सभा के सदस्य करते क्योंकि राज्य सभा में जो विवेचन हुआ करते हैं वह गम्भीरतापूर्वक हुआ करते हैं। उसका निचोड़ बहुत सम्मानीय, स्थायी और चिरंतन होता है। इसीलिये मैं सरकार से चाहूंगा कि सरकार इस निरीह बिल को जिसमें अब बहुत समय लगने वाला नहीं और उसमें कुछ विशेष उत्पात की बात नहीं, कोई विशेष झगड़े की बात नहीं, यदि मामूली तौर से एक आपसी बैठक माननीय सदस्यों की हो सके जिसमें हमारे सदस्य अपने दिल की बात को रख सकें वहां की समस्याओं को रख सकें, हो सकता है हमारी सरकार कहे कि इसके लिए और भी बैठकें हुई हैं और हो सकता है और भी बैठकें हुई हों, लेकिन हमारी यह अंतिम बैठक होगी क्योंकि वह सधे-सधाये अनुभवी सदस्यों की होगी जिनको वहां की जमीन की, नदी की वहां के किसानों की जानकारी है और मालूम है कि किस प्रकार के उनके झगड़े हुआ करते हैं और उनकी क्या प्रवृत्ति है और इस प्रकार की बैठक से कोई सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं जो दोनों के संबंध चिर-स्थायी बना कर रख सकते हैं। तो ऐसे सदस्यों की अगर एक बैठक या दो बैठक हो जाय वहां के किसानों के साथ मिल कर उनके विचारों की जान कर समाधान ढूंढने का एक रास्ता निकल जाय तो मैं समझता हूं कि हम आपस में शायद बिगड़ेंगे नहीं बल्कि हम आपस में एक दूसरे से मिलेंगे। इसलिये मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह साधारण सा सुझाव शायद सरकार को बुरा नहीं लगेगा। विलम्ब जो होना चाहिये था वह हो गया यदि थोड़ा सा विलम्ब और हो जाय तो शांति और व्यवस्था को लाभ होगा। इसलिये मैं इस बिल पर जो प्रवर समिति बनाने का सुझाव है उसके बारे में सरकार से आग्रह करूंगा कि उस सुझाव को मान कर सरकार अपनी दूरदर्शिता का परिचय दे।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने एक राय से जो इस विवाद पर दिये गये निर्णय को स्वीकार किया है उसके लिये मैं उनको बधाई भी देता हूं। मान्यवर हमारे इस देश में स्वाधीनता के बाद पिछले 20 वर्षों में यह पहला मौका हुआ है जब दो प्रदेशों की सरकारों ने अपने विवाद को एक राय से आपसी सहमति से स्वीकार किया है और देश के सामने एक नमूना पेश दिया है कि आपसी झगड़ों में वह इस तरह की नीति बरतना शुरू करें।

मान्यवर, हमारे देश में कहीं नदी के पानी के झगड़े हैं कहीं महाराष्ट्र, मैसूर, केरल के सीमा विवाद हैं कुछ गांवों की कुछ तहसीलों की इधर से उधर जाने की बात है वहां ऐसे झगड़े हो रहे हैं जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो दो प्रभुतासंपन्न देशों में कोई झगड़ा हो जिसके कारण हमारे प्रदेशों के सामाजिक जनजीवन में समय-समय पर क्रांति और उपद्रव होते रहते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा घाघरा और गंगा नदी से अलग होती रही है। ये दोनों नदियां वर्षों से अपने बहाव को बदलती रहती हैं और सैकड़ों मील इधर से उधर हटती रहती हैं जिसका परिणाम

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

यह हुआ है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की भूमि नदियों के बहाव से बदलती रहती है । हमेशा से एक बहुत पुराना नियम परम्परा के अनुसार यह माना जाता है कि जिधर से नदी के पानी का बहाव हो तो प्रति वर्ष उसकी मध्य धारा अर्थात् बीच की धारा जो है उसको सीमा मान लेते हैं । ये दोनों नदियां अपनी जगहों से हमेशा हटती रहती हैं, कभी बिहार की सीमा में कभी उत्तर प्रदेश की सीमा में धंसती रही हैं । परिणाम यह हुआ कि जो एक किनारे का किसान होता है जब नदी की धारा बदल कर उत्तर प्रदेश चली जाती थी तब वह उसी भूमि पर कब्जा करना चाहता था और जब वह उधर बिहार में जाती थी तो उत्तर प्रदेश के लोग उस भूमि पर कब्जा रखना चाहते थे जिसके परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश के माल विभाग को बड़ी परेशानी थी । न उनका रिकार्ड ठीक हो सकता था और जो फौजदारी और कत्ल हुआ करते थे उससे दोनों प्रदेशों की जनता जो इन नदियों के किनारे बसती थी वह बहुत दुखी रहती थी । यह विवाद वर्षों से वहां के जन-जीवन में एक दुखमय विवाद रहता था । यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने यह फैसला किया कि इस मसले को किसी पंच के सुपुर्द करना चाहिये और उस पंच-फैसले को दोनो सरकारों ने एक राय से स्वीकार किया । मैं चाहता हूं यह उदाहरण हमारे देश की और सरकारें स्वीकार करें ।

माननीय, अभी महाराष्ट्र, मैसूर और केरल की सीमा के संबंध में भी इसी प्रकार का एक विवाद खड़ा हुआ है । महाजन कमीशन एक मुकर्रर हुआ था जिसके निर्णय पर बड़ा उग्र विवाद उन प्रदेशों पर है । यदि कोई व्यक्ति या कोई संस्था या कोई देश पंच-निर्णय को स्वीकार करे तो उसका मतलब यह होता है कि वह पूरी तौर से अंतर और बाहर से तन और मन से इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि जो पंच उन्होंने चुना है वह जो फैसला करेगा उसे स्वीकार करेंगे । कभी किसी पंच का किसी अदालत का फैसला, दोनों पक्षों को पूरी तरह मुतमईन नहीं कर सकता है, हमेशा एक ही पक्ष के अनुकूल उसका फैसला होगा और शायद ही कोई असम्भव सी बात कभी हो जाय कि दोनों पक्ष उससे संतुष्ट हो जायें । परन्तु मुकदमे में निर्णय के पूर्व अपना केस हर एक पक्ष रखता है और यह जज पर मुन्हसिर होता है कि वह क्या फैसला दे । मैंने आज तक कानूनी पेशे में रहकर वकील की हैसियत से और कभी कभी एक पक्ष की हैसियत से यह अनुभव किया है कि अदालत का जब फैसला होता है तो हमेशा दो तीन प्रकार की बातें उनके विरुद्ध कही जाती हैं । एक यह कही जाती कि जो दूसरा पक्ष है जो हारता है उसने अपने पक्ष की पैरवी ठीक तरह से नहीं की । कभी कभी यह कहा जाता है कि जज ने न्याय बुद्धि से काम नहीं किया या जज ने किसी न्याय भावना से काम नहीं किया है । कभी-कभी यह कहा जाता है कि जज के पास सिफारिश पहुंचाई गई थी और कभी कोई कहता है कि जज को रिश्वत दे दी गई थी । हमारे इस माननीय सदन के सदस्य जो कानूनी पेशे का अनुभव रखते हैं वे अच्छी प्रकार से इस बात को जानते होंगे कि छोटे से छोटे मुकदमे से लेकर बड़े मुकदमे तक में जो देश के बीच में होते हैं प्रदेशों के बीच में होते हैं अन्य राष्ट्रों के बीच में होते हैं आप इतिहास उठाकर देख लीजिये आप कभी भी यह नहीं पायेंगे कि किसी पंच-निर्णय ने दोनों पक्षों को बराबर संतुष्ट किया हो ।

हमारे एक माननीय सदस्य ने इधर कच्छ निर्णय का प्रश्न उठाया । मैं नहीं समझता कि वह प्रश्न आज के विषय पर कोई संगति रखता है । परन्तु यदि उन्होंने कहा तो मैं उनकी जानकारी के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश ने, इस देश की संसद् के

दोनों सदनों ने कच्छ के विषय पर पंच निर्णय के फैसले को देने के पहले इस बात को स्वीकार किया था कि इस तरह का निर्णय दिया जाय जो हमको मान्य होगा । इतने बड़े देश के आत्म-सम्मान का तकाजा यह है कि जब उसने प्रतिज्ञा कर ली कि किन्हीं व्यक्तियों द्वारा इस विवाद पर निर्णय दिया जाय तो चाहे वह हमारे अनुकूल हो या प्रतिकूल उस प्रतिज्ञा को हमें स्वीकार करना चाहिये । यदि वह निर्णय अनुकूल हो तो हम उसे स्वीकार करें और प्रतिकूल हो तो हम यह कहें कि जज ने न्याय बुद्धि से काम नहीं लिया । भले ही जज ने न्याय बुद्धि से काम न लिया हो लेकिन मैं चाहता हूं ...

श्री निरंजन वर्मा : आपके शासन में तो प्रतिकूल ही प्रतिकूल होगा ।

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : जी हां, जब आप आयेंगे तब अनुकूल होगा और तब मैं स्वागत करूंगा । लेकिन आज आप स्वागत कीजिये प्रतिकूल निर्णय का क्योंकि आज हम यहां पर बैठे हैं ।

माननीय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैं इस विषय को यहां पर लाना नहीं चाहता था परन्तु मैं जिस बड़े देश का नागरिक हूं उस महान देश का अपना एक महान इतिहास है, उस महान देश की अपनी परम्परा है और जिस देश में महापुरुष महात्मा गांधी रहे हैं, जिस देश में हरिशचन्द्र जैसे लोग रहे हैं, उस देश के बारे में मैं यह कहने के लिए बाध्य हुआ हूं । हमारे जो भाई भारतीय संस्कृति का नारा लगाते हैं, क्या वे नहीं जानते हैं कि राजा हरिशचन्द्र ने क्या त्याग किया था, क्या वे नहीं जानते हैं कि जब हमने प्रतिज्ञा कर ली तो चाहे हमारा जीवन चला जाय, सब कुछ चला जाय, लेकिन वह प्रतिज्ञा रहेगी । सत्य रहे, सत्य रहे, सत्य रहे यही इस देश की सदा विशेष बात रही है । हमारा इस प्रकार का एक आदर्श रहा है और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर हम अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ नहीं रहेंगे तो भारत भारत नहीं रहेगा। जिस दिन हरिशचन्द्र की परम्परा का त्याग करेंगे, जिस दिन सत्य का त्याग करेंगे, जिस दिन हम यह सोचेंगे कि उस सत्य के पीछे हमारा हित है या अहित और हित होने पर स्वीकार करेंगे और अहित होने पर उसका त्याग करेंगे, तो फिर हमारी परम्परा नहीं रहेगी । इसीलिए मैं, माननीय, कहना चाहता हूं कि....

श्री जे० पी० यादव : सत्य रहे, लेकिन राम नाम वाला सत्य नहीं, यही मेरा निवेदन है ।

SHRI BRAHMANANDA PANDA: Sir, it is expected that Members from both sides should speak on the Bill, but they are digressing and talking about other things. If you allow me, I can talk about the Jordan-Israel trouble also.

श्री महाबीर प्रसाद शुक्ल : में माननीय सदस्य की बात को स्वीकार करता हूं। मैं ने तो केवल अपने एक मित्र को उत्तर दिया था जिन्होंने इस विषय को उठाया था। माननीय, उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा के सम्बन्ध में जो यह निर्णय हुआ है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है । इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण है जो हमारे अन्य प्रदेशों को भी स्वीकार करना होगा । ऐसे प्रदेशों की सीमा जो भाषावार प्रदेश हैं, जिनका भाषा के आधार पर गठन हुआ है, जिनकी सीमाओं पर दो तरह के भाषा-भाषी लोग मिलेंगे । किसी प्रदेश की सीमा पर मराठी और कन्नड़ भाषी लोग मिलेंगे, मराठी और तैलगू भाषी लोग मिलेंगे और मलयालम और कन्नड़ भाषी लोग मिलेंगे । बिहार और बंगाल की सीमा पर बंगाली और हिन्दी भाषी लोग मिलेंगे । हरियाणा और पंजाब की सीमा पर हिन्दी और पंजाबी भाषी लोग मिलेंगे । तो हमारे प्रदेशों की सीमाओं पर जो भिन्न

[श्री महावीर प्रसाद शुक्ल]

भिन्न तरह के भाषा-भाषी लोग रहते हैं उन्हें मिलकर इस तरह का फैसला करना होगा जो कि हमारे देश के लिये एक बड़ा भारी आदर्श होगा। यदि कोई गांव किसी प्रदेश में रहकर दूसरे प्रदेश में चला जाता है, तो वह भारत के बाहर नहीं जाता है और न ही वह किसी विदेशी शासन के अन्दर ही जाता है क्योंकि यह सारा देश भारत एक है। पहले हमें देश को सामने रखना होगा और उसके बाद इस महान देश के जो प्रदेश हैं वे आते हैं और उसके बाद जिले, तहसील और गांव आते हैं। यदि ऐसी भावना नहीं रहेगी तब हमारे देश में सीमा और जात के तथा भाषा के झगड़े चलते ही रहेंगे। हमें इस तरह के झगड़ों का निपटारा बिहार और उत्तर प्रदेश के झगड़े के नमूने पर हल करना चाहिये। यह जो नमूना पेश किया गया है, मैं उसकी दाद देता हूं और सराहना करता हूं। मैं यह आशा करता हूं कि यह विधेयक स्वीकार किया जायेगा और सारा देश तथा प्रदेश अपने आपस के झगड़ों के सम्बन्ध में इस रास्ते को अख्तियार करेंगे। आज हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो झगड़े हो रहे हैं वे हमारे देश के इतिहास को कलंकित कर रहे हैं, हमारे देश के सामाजिक जीवन को कलुषित कर रहे हैं और जो हमारे देश के सामाजिक जीवन और हृदय में कांटे की तरह खटकते रहते हैं, वे नहीं रहेंगे। यह विधेयक आदर्श के रूप में हमारे देश में अनुकरणीय रहेगा।

उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमाओं को जो जानता है, जैसा कि हमारे एक मित्र ने अभी कहा, कि उत्तर प्रदेश का प्रत्येक गांव का, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक बिरादरी का आदमी गंगा के उस पार विरासत में भूमि पाता है। इसी तरह से उस पार का आदमी भी विरासत में इस पार भूमि पाता है। इस तरह से गंगा के उस पार आदमी बसकर इधर खेती करता है और इस पार बस कर आदमी उधर खेती करता है और फिर भी आपस में कोई तनाव नहीं है। हां, भूमि पर फसल काटने पर झगड़ा हो जाता है, कत्ल हो जाते हैं और उस वक्त वह इन बातों पर विचार नहीं करता है। यदि कोई गांव उत्तर प्रदेश का बिहार में जा रहा है, या उसकी भूमि जा रही है, तो उसका जोतने वाला किसान वहां जाकर बसेगा तो उसको कोई तकलीफ या दुःख नहीं होगा। इसी प्रकार यदि बिहार का कोई गांव, यदि बिहार की कोई जमीन उत्तर प्रदेश में आ रही है, तो उसका किसान यहां आकर बस जायेगा। उनकी भाषा में न कोई भेद है, न धर्म में कोई भेद है, न रीति रिवाज में कोई भेद है और न आपस के रिश्ते में कोई फर्क है। जब इतने ज्यादा सम्बन्ध दो प्रदेशों के लोगों में आपस में हों, तो फिर उनके बीच कटुता उत्पन्न होना उचित नहीं है।

इस झगड़े के सम्बन्ध में जो जो प्रश्न उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकार को भुगतने पड़ते हैं, उसका मुझे अनुभव है। मान्यवर, जब मैं माल महकमे में सरकार में काम करता था एक उपमंत्री की हैसियत से तो मैंने देखा कि यह जो विवाद दो प्रदेशों के जन जीवन में हैं, वह एक प्रकार का कैन्सर है और उसको खत्म करने के लिये जो कदम उठाये गये उसके परिणामस्वरूप ही यह निर्णय हुआ और यह आज विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत है। अब इसको पारित करने में विलम्ब होना उचित मालूम नहीं पड़ता है। यदि लोक सभा ने कोई प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति नियुक्त की होती, हो सकता है कि छोटे-मोटे सुधार हो जाते। लेकिन प्रवर समिति में जाने से कोई बड़ा सुधार होगा, कोई बड़ी बात आ जायेगी मैं ऐसा नहीं मानता हूं। जो कुछ पंच-निर्णय हुआ है, उसको दोनों सरकारों ने स्वीकार किया है और हमें इस बारे में आपत्ति करना उचित मालूम नहीं देता है।

मैं अंत में, माननीय सदस्यों से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब को मिलकर इस विधेयक को पारित कर देना

चाहिये, जिस तरह से लोक सभा ने इसे पारित किया है ताकि जल्द से जल्द वहां के झगड़े समाप्त हों तथा उन्हें कार्यान्वित किया जा सके ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री सूरज प्रसाद (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा के परिवर्तन के संबंध में जो विधेयक है, उसको प्रवर समिति में भेजने के संबंध में जो प्रस्ताव है उसका मैं समर्थन करता हूं । यह जो विधेयक पेश किया गया है, उसका समर्थन करने में कोई हिचक नहीं होती, अगर इसमें जो प्रावधान दिये गये हैं, वे वहां के किसानों के हित में होते ।

इस संबंध में मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच जो विवाद है वह यह है कि गंगा और घाघरा की जो नदियां हैं, ये नदियां हमेशा अपनी धारा बदलती रहती हैं और उसके चलते उत्तर प्रदेश की जमीन कभी बिहार में चली आती है और कभी बिहार की जमीन उत्तर प्रदेश में चली आती है । इसीलिये उत्तर प्रदेश और बिहार के किसानों में हमेशा झगड़े होते रहते हैं और ये झगड़े बड़ा रूप धारण कर लेते हैं । किसान लाठी, भाले और गंडासा लेकर आपस में लड़ते रहते हैं और इस तरह से उनके बीच मारपीट, खूनखराबी और मुकदमाबाजी होती रहती है। इस बिल को प्रस्तुत करते हुए माननीय मंत्री जी ने यह कहा कि मुझे विश्वास है कि अगर यह बिल पास हो जायेगा, पास होकर अमल में आयेगा, तो इसके चलते बिहार और उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में जो झगड़े हुआ करते हैं, कचहरियों में जो मुकदमे होते हैं, जो कभी कभी भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, वे सब खत्म हो जायेंगे और इस तरह से वहां के किसान शान्तिपूर्ण जीवन व्यतीत कर पायेंगे । लेकिन मुझे ऐसा भरोसा है और मुझे ऐसा अन्दाज लगता है कि उस इलाके के किसानों में बहुत ही अधिक उत्तेजना है और अपनी जमीन की रक्षा के लिये वे हर कुर्बानी करने के लिये तैयार रहते हैं । जब कभी भी उत्तर प्रदेश की जमीन बिहार में आती है तो हमारा निजी अनुभव है कि उत्तर प्रदेश के किसान बिहार में चले जाते हैं और वहां यह दावा करने लगते हैं कि यह जमीन उत्तर प्रदेश की है और हमारी है । इसी प्रकार जब बिहार की जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाती है तो बिहार के किसान उधर चले जाते हैं और यह दावा करने लगते हैं कि हमारी जमीन है । यह है झगड़े का बुनियादी कारण जिस से हमेशा किसानों के बीच झगड़ा हुआ करता है और सरकार के लिये भी एक परेशानी बनी रहती है कि कैसे अमन व चैन वहां कायम रखा जाय । ऐसी हालत में हम को देखना यह है कि क्या यह विधेयक इस रूप में पेश किया है जिस से किसानों के जो बुनियादी हक हैं उनकी रक्षा हो सके और जो जमीन के झगड़े होते हैं उनको रोका जा सके । मेरा विश्वास है कि इस तरह की कोई बात इस बिल में नहीं कही गई है ।

4 P. M.

अभी बोलते हुये माननीय रेवती कान्त सिंह ने कहा कि कुछ ऐसे गांव हैं जिन के नाम बदल दिये गये हैं और वे गांव उत्तर प्रदेश में चले जायेंगे । अब प्रश्न उठता है यह कि गांव तो चले जायेंगे लेकिन उनके साथ-साथ जो जमीन उत्तर प्रदेश में जायेगी उस पर अधिकार किस का रहेगा, उस पर अधिकार बिहार के किसानों का रहेगा या उत्तर प्रदेश के किसानों का रहेगा । अगर वह जमीन उत्तर प्रदेश में चली जायेगी तो मैं माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि बिहार की जो जमीन उत्तर प्रदेश में चली जाती है अगर उस पर कब्जा बिहार के किसानों को नहीं मिलेगा तो आप का यह कानून कितना ही अच्छा क्यों न हो, चाहे आप की मंशा कितनी ही पुनीत क्यों न हो लेकिन आप बिहार के किसानों

[श्री सूरज प्रसाद]

को झगड़े से नहीं रोक सकते हैं । इस लिये जरूरत इस बात की है कि वहां के किसान को अपनी जमीन पर अधिकार दिये जायं । मैं उस इलाके में गया हूं और वहां के किसानों से बातें की हैं और बातें करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि किसान आप के इस विधेयक से प्रसन्न नहीं हैं । वे चाहते यह हैं कि जो हमारी जमीन है वह जमीन भले ही उत्तर प्रदेश में चली जाय लेकिन मिल्कियत हमारी ही रहनी चाहिये । कुछ हजार एकड़ जमीन जो बिहार की यू० पी० में जाती है मैं जानना चाहता हूं कि क्या उस जमीन पर बिहार के किसानों की मिल्कियत रहेगी । अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप निश्चित जानिये कि चाहे आप कितना ही अच्छा कानून क्यों न बना लें और चाहे आप भले ही उसके जरिये बिहार के शासन को अधिकार दे दें कि अगर बिहार के किसान यू० पी० में घुसें तो उनका सिर तोड़ दिया जाय, लेकिन आप बिहार के किसानों को अपनी जमीन की रक्षा करने से रोक नहीं पायेंगे । इसलिये जरूरत इस बात की है कि विधेयक में इस तरह का प्रावधान हो कि बिहार की जमीन अगर उत्तर प्रदेश में जाय तब भी उसका अधिकार बिहार के किसानों को दिया जाय । आप चाहे तो गांवों का नाम बदल दें, उसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वहां अधिकार बिहार के किसानों को जरूर दिया जाय । अगर इस तरह का प्राविजन आप के बिल में नहीं रहेगा तो आप की इच्छा चाहे जितनी अच्छी हो, आप भले ही सदिच्छा से काम करें, लेकिन उसका हल अच्छा नहीं निकलेगा।

साथ ही एक बात मैं इस सम्बन्ध में बतलाना चाहता हूं कि यू० पी० और बिहार में एक ऐग्रीमेंट 18 58 में हुआ था और उस ऐग्रीमेंट में यह तय हुआ था कि मछली मारने का अधिकार बिहार को रहेगा और फेरी का राइट उत्तर प्रदेश को रहेगा । आज उसकी हालत क्या है । गंगा नदी में मछली मारने का अधिकार बिहार को रहेगा और बक्सर के आसपास में जो नावें चलती हैं या जो पुल बने हुये हैं उनसे जो आमदनी होगी यह उत्तर प्रदेश की होगी । इससे आज हो यह रहा है कि यू० पी० में जितनी भी पंचायतें हैं वे वहां मछली मारने के ठेके दे देती हैं जिस से मछली मारने के लिये यू० पी० के मछुए गंगा नदी में प्रवेश कर जाते हैं और उसका यह होता है कि यू०पी० और बिहार के मछुओं में झगड़ा हुआ करता है । अब प्रश्न यह है कि उससे नतीजा क्या निकला । ऐग्रीमेंट तो हुआ लेकिन उसका पालन नहीं हुआ । उसी तरह से यह कानून भी पास कर दिया जायेगा, लेकिन बिहार के किसान को जो हक बहुत दिनों से हासिल है, जिस जमीन पर उसका कब्जा है, उस पर अगर उसको हक प्रदान नही किया जायगा तो ऐसे कानूनों से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है ।

इसलिये मेरा खयाल है कि इस बिल को जल्दी पास करने की जरूरत नहीं है । इस बिल पर गहराई से जांच करने की जरूरत है और इसमें ऐसे प्रावधान रखने की जरूरत है जिन से किसानों के हक की सही माने में रक्षा हो सके । अगर ऐसा नहीं हुआ तो बिल की चाहे जो मंशा हो वह पूरी नहीं होगी और वहां अभी जो झगड़े हो रहे हैं उससे कई गुना झगड़े बढ़ जायेंगे और यू० पी० और बिहार की जो कचहरियां हैं उनमें मुकदमे भरे पड़े रहेंगे और किसी तरह के कानून से कोई फायदा नहीं पहुंचेगा ।

इसलिये मेरी अंतिम अर्ज यह है कि इस बिल को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय ताकि वहां इस पर गहराई से विचार किया जा सके और सही रास्ते पर पहुंचा जा सके ।

श्री **तारकेश्वर पांडे** (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । इस बात का मुझे खेद है और क्षमा भी चाहता

हूं कि जो साथी इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं वे इस विधेयक के इतिहास और इसकी धाराओं से अपरिचित जान पड़ते हैं । हम बलिया जिले के रहने वाले हैं और हमारा जिला 1857 के उपद्रव के बाद बना । हम स्वयं जिस हिस्से के रहने वाले हैं यह हिस्सा शाहबाद का है जो इस वक्त बलिया में मिला हुआ है । उत्तर प्रदेश और बिहार इन दोनों राज्यों के बारे में बहुत नहीं कहना चाहता, लेकिन आरा जिला, बलिया जिला और छपरा जिला इन तीनों जिलों का इस विधेयक से सम्बन्ध है और ये जिले एक विचार के हैं, एक भाव के हैं और एक प्रकार के रहन सहन और एक प्रकार की भाषा के बोलने वाले लोग हैं और उनमें किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है । भूमि के प्रश्न को ले कर बलिया जिले में झगड़े होते रहते हैं और उसी प्रकार शाहबाद और छपरा जिले में भी होते रहते हैं । अब प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश और बिहार की स्थायी सीमा होनी चाहिये या नहीं होनी चाहिये ।

करीब 50, 60 वर्षों से जो पुराना एक आन्दोलन था स्थायी सीमा बनाने का, अपने इस 40 वर्ष के राजनैतिक और सामाजिक जीवन में स्थायी सीमा बनाने के उस आन्दोलन का हम नेतृत्व करते रहे हैं । मैं पं० जवाहर लाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी का बहुत अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने स्थायी सीमा बनाने की योजना को स्वीकार किया । जहां तक मुझे स्मरण है 1955 या 56 में—शुक्ल जी यहां मौजूद हैं और अगर तारीखों में कोई गलती हो तो वे शुद्ध कर देंगे—सीतापुर में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई और उसमें मेरा ही यह प्रस्ताव था कि हम भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार इन तीनों से प्रार्थना करते हैं कि पं० जवाहरलाल जी को पंच मान लिया जाय और जो वे निर्णय करें उसको तीनों सरकारें मान लें । उत्तर प्रदेश और बिहार के रेवेन्यू मिनिस्टर, रेवेन्यू सेक्रेट्री और इन जिलों के असेम्बली के मेम्बर न मालूम कितनी कितनी बार लखनऊ, पटना बलिया, शाहबाद और छपरा में मिलते जुलते रहे हैं और न मालूम कितनी बार इस पर विचार विनिमय किया गया, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला और बड़ी निराशा थी । उस पंच निर्णय के प्रस्ताव को जो उत्तर प्रदेश की कांग्रेस कमेटी ने सर्वसम्मति से स्वीकार किया था पं० जवाहरलाल जी के पास भेजा गया और पं० जवाहरलाल जी ने उसे यू० पी० और बिहार की सरकार को भेजा । और यू० पी० और बिहार की सरकारों ने उसको स्वीकार किया और जवाहरलाल नेहरू इसके पंच बनाए गए । जवाहरलाल नेहरू ने त्रिवेदी कमीशन की स्थापना की । जहां तक मुझे स्मरण है—दो-तीन बरस हो गए हैं—त्रिवेदी कमीशन ने इन दोनों क्षेत्रों, गंगा और सरजू, का दौरा किया, बड़ी जांच-पड़ताल की, 100-200 आदमियों की गवाहियां ली गईं, डेपूटेशन्स उससे मिले, उनको स्मृति-पत्र दिए गए, उसके बाद उन्होंने निर्णय किया । जब उन्होंने निर्णय किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्वर्गवास हो चुका था और लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधान मंत्री थे । उन्होंने उस एवार्ड को स्वीकार किया । देखिये, प्रवर समिति कहां इसमें आती है । उसको उन्होंने स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद यू० पी० और बिहार दोनों राज्यों की सरकारों को भेजा । विवाद किस प्रश्न पर है । गंगा और सरजू दोनों नदी इन जिलों के बीच में बहती हैं । हम लोग अपनी भोजपुरी भाषा में उसे धुर-धारा कहते हैं, बीच की धारा, यही बाउन्डरी मानी जाती है, बाउन्डरी बदलती रहती है । गांव के किसानों की भूमि इधर से उधर चली जाती है । पहले जमींदारी सिस्टम था, जमींदार उसको नौवरार समझ कर, नई जमीन का बन्दोबस्त करता था, पुराने किसानों को मानता नहीं था । इसलिये उस जमीन को पुराने किसान और नए किसान दोनों जोतते थे, बोते थे, काटने के समय झगड़ा करते थे । यह विवाद मूल

[श्री तारकेश्वर पांडे]

में चलता था। प्रवर समिति का सिंह साहब ने प्रस्ताव किया, हम तो यह तक कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें इससे आत्मसंतोष हो तो सारे बलिया जिले को उत्तर प्रदेश से काट कर बिहार में मिला दीजिए, हमें कोई चिन्ता नहीं है, कोई दुख नहीं है। मैं अपनी यह जानकारी भी बताना चाहता हूं कि जब बंगाल से बिहार अलग हुआ, एक प्रदेश बना, उस समय की भारत सरकार चाहती थी कि बनारस और गोरखपुर कमिश्नरी भी उस प्रदेश में मिला दी जायं लेकिन अपने लघुता के भाव के कारण उस समय के नेताओं ने उसे स्वीकार नहीं किया। हम उसके लिए आज भी तैयार हैं। हमें उसमें कोई फर्क नहीं दिखाई पड़ता। जैसे हम अपने को समझते हैं वैसे ही आपको समझते हैं। स्थायी सीमा हम चाहते हैं चाहे जैसे भी बने। केबिनेट ने जब मसविदे को तैयार किया तो उसे दोनों प्रदेशों की सरकार को भेजा गया, उनको समय दिया गया और जितनी पार्टियां इस समय सदन में हैं वे सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश और बिहार में थीं और दोनों प्रदेशों की असेम्बलियों और कौंसिलों के मेम्बरान ने—यानी चार सदनों ने—उसको स्वीकार किया सर्वसम्मिति से, अल्पमत से नहीं, बहुमत से नहीं बल्कि सर्वसम्मति से। उसके बाद लोक सभा में प्रस्तुत हुआ, लोक सभा ने इसको सर्वसम्मति से स्वीकार किया, अब आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। मैं अपने को आरा जिले का मानता हूं और आरा जिले के यहां 7 मेम्बर हैं।

पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा (उत्तर प्रदेश) : आप अपने को आरा जिले का मानते हैं तो फिर यू० पी० को रिप्रेजेन्ट कैसे करते हैं ?

श्री तारकेश्वर पांडे : हम सारे हिन्दुस्तान को रिप्रेजेन्ट करते हैं।

पंडित श्याम सुन्दर नारायण तन्खा : इस हाउस में हर एक प्रान्त के लोग अपने प्रान्त का ही प्रतिनिधित्व करते हैं।

श्री तारकेश्वर पांडे : जब यहां चले आते हैं तो सारे देश की भावना से ओतप्रोत हो जाते हैं।

सिंह जी इसे प्रवर समिति में पेश करना चाहते हैं। किसी को कहना तो मुनासिब नहीं लेकिन मेरे भाई हैं इसलिये कहता हूं कि वे इस सम्बन्ध में बहुत गम्भीर नहीं हैं। क्यों गम्भीर नहीं हैं। कांग्रेस के 4 आदमियों को उन्होंने प्रस्तुत किया है इस समिति में और विरोधी दल के 11 आदमियों को। हमारी हैसियत का भी सिंह साहब को ख्याल करना चाहिये था। आपकी 11 की हैसियत है और हमारी 4 की हैसियत है ? इस तरह से आप बंटवारा करेंगे तो क्या कोई आपको पंच मानेगा। ऐसा मत करिए कि 4 कांग्रस को दें और 11 स्वयं ले लें। दूसरी बात सुनिए। भूमि का जब बंटवारा होगा, हम उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, उसमें आपने बिहार के 9 सदस्यों को रखा है और उत्तर प्रदेश के तीन सदस्यों को रखा है, तीन की संख्या कुछ विषम होती है...

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): You know, Sir, what Shri Shyama Prasad Mukherjee once said "India, that is Bharat, that is U. P."

SHRI TARKESHWAR PANDE: That is too old. ^ tj^pft ^ | ^

आप मेम्बर नहीं थे, जब आप आए तब खत्म हो चुकी थी।

भला बताइए, बिहार के 9 रखे और उत्तर प्रदेश के तीन। बलिया नदारद, जो अपना भाई है वही नदारद। आपने रखा किस को है। एक आपने रखा है बाबू राज-नारायण सिंह को, इसमें हमको एतराज नहीं है। दूसरा आपने रखा है—एतराज तो किसी बात में नहीं है लेकिन आप गम्भीर नहीं हैं।

इसको प्रस्तुत करने में, इसमें मुझको सन्देह नहीं है—गोडे मुराहरि को । आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के सोशिलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता उनको उत्तर प्रदेश का मानते नहीं हैं । फिर आपने रखा है ठेंगड़ी साहब को, उत्तर प्रदेश से वे निर्वाचित हुए हैं इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासी हैं इसमें एक राय है कि वे नहीं हैं । भला बताइए उत्तर प्रदेश का हिसाब किताब, हम मेथेमेटिक्स के स्टूडेन्ट हैं, एक आदमी को रखा है । बड़ी प्रवंचना और विडम्बना मालूम होती है । बहुत विचार इसलिये नहीं करता हूं क्योंकि आप सीरियस नहीं हैं, गम्भीर नहीं हैं इसको प्रस्तुत करने में । अब आप बताइए कि जब चार सदन उत्तर प्रदेश और बिहार के और एक सदन लोक सभा का इसको सर्वसम्मति से पास कर चुके हैं तो अब यह प्रवर समिति का प्रश्न उपस्थित करना कहां का न्याय है । आपने तो इसे गम्भीरता से प्रस्तुत नहीं किया है लेकिन मैं आपसे गम्भीरता के साथ करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा करके इसे वापस ले लीजिए । *(Interruptions.)* इस मूल प्रश्न को आप समझ लें तो आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहेगी ।

हम गंगा और सरजू के संगम के रहने वाले हैं, हमारी कुछ भूमि पड़ती है उत्तर प्रदेश में । अब इस बंटवारे के बाद थोड़ी सी भूमि पड़ जायगी उत्तर प्रदेश से अलग शाहबाद जिले में । थोड़ी सी जमीन हमारी सारन में पड़ती है । इस जमीन के बिहार के सारन, छपरा और शाहबाद यानी आरा जिले में पड़ने से हमारे मन में किसी प्रकार का कोई भाव न तो बिहार के शाहबाद जिले के प्रति है और न सारन जिले के प्रति है । मूल प्रश्न क्या है ? मूल प्रश्न ,जैसा मैंने बताया, भूमि का है । यह विधेयक उसका समाधान प्रस्तुत नहीं करता है । नैनीजोर एक छोटा सा गांव है गंगा के किनारे पर । जहां तक मुझे स्मरण है—कोई साहेबान ज्यादा जानते हों तो बता दें—दो हजार एकड़ का वह गांव है, जबरदस्त गांव है, शूरवीर गांव है और लठैत भी है । उसने, गाँव ने क्या किया ? उसने फैलना शुरू किया और आज 22-24 हजार एकड़ के ऊपर उसका कब्जा है नए-नए गांवों का निर्माण कर के । उत्तर प्रदेश में सर्वे बहुत लम्बे समय के बाद होता है । वहां पटवारी सिस्टम है जो जमीन के ऊपर दाखिल-खारिज करके नवैयत लिखता है कागजों में । बिहार का इसके विपरीत सिस्टम है । इसका परिणाम यह हुआ है कि बहुत से गांव जो उत्तर प्रदेश के किसानों के थे वे नैनीजोर दियारे के अधिकार में चले गए । अब प्रश्न यह है कि वह जमीन किस की है जमींदार की है या किसकी है । जब जमीन गिर गई तो जो जमीन बिहार में पड़ गई या उत्तर प्रदेश में पड़ गई उसको नवरार घोषित कर दिया और नये किसानों की तादाद इस पार भी और उस पार भी बढ़ी है । जो दुखद इतिहास है वह यह है कि लगभग सौ वर्ष से गंगा नदी बलिया जिले को काटती रही है और वह कुल जमीन बिहार में पड़ती चली जा रही है तो घाटे में जो रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के, बलिया जिले के किसान रहे हैं । किसान आन्दोलन किसने किया है । वह उत्तर प्रदेश के बलिया ज़िले के किसानों ने अपनी जमीन के अधिकार के लिये किया है । हम लोगों ने इस पर बहुत विचार किया और सोचा तो इस नतीजे पर पहुंचे कि कोई स्थायी सीमा हो । त्रिवेदी कमीशन के समक्ष में गवाही दे चुका हूं कि बलिया जिले के समूचे रकबे को आप काट कर के बिहार में स्थायी रूप में बना दीजिये लेकिन किसी तरह से एक स्थायी सीमा बनाइये । तो हम एक स्थायी सीमा चाहते हैं । यह जो विधेयक है वह इस मूल मंशा को, स्थायी सीमा की मंशा को पूरा करता है इसलिये इस विधेयक का हम समर्थन करते हैं ।

अब अगर इसको प्रवर समिति में डाल दिया जाय तो क्या होगा ? प्रवर समिति का

[Shri Tarkeshwar Pande.]

यह प्रस्ताव लोक सभा में जायगा और उसकी कांकरेंस ली जायगी या यह हो सकता है कि एक अलग प्रवर समिति बनायें, तो प्रवर समिति के बनाने के बाद यह फिर गवर्नमेंट के पास आयेगा, लोक सभा के पास जायगा, फिर उसमें अगर कोई संशोधन हुआ तो फिर उत्तर प्रदेश और बिहार [दोनों प्रदेशों की विधान सभा और विधान परिषद् के पास जायगा, तो मेरा यह अनुमान है कि इसमें कम से कम दस वर्ष लगेंगे और यह जो त्रिवेदी कमीशन की मूल मंशा है वह समाप्त हो जायगी, इसलिये मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि हां इसमें किसानों का कतिपय स्थलों पर नुकसान हो सकता है लेकिन स्थायी सीमा बनने के बाद स्थायी तौर पर इनका लाभ होगा । अब मैं गवर्नमेंट से दो शब्द कहना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री महावीर प्रसाद भार्गव) : पांडे जी, अब समाप्त करें ।

श्री तारकेश्वर पांडे : मैं एक मिनट में समाप्त करे देता हूं । गवर्नमेंट से सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं कि शुक्ल जी का मैं बहुत अनुग्रह मानता हूं कि बड़ी कृपा की जो उन्होंने इस विधेयक को प्रस्तुत किया और साथ ही उनका यह भी एक बड़ा अनुग्रह मानता हूं कि उन्होंने लोक सभा के साथियों से मिल कर के इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराया, उसको स्वीकृत कराया, लेकिन अब उनसे एक प्रार्थना यह करना चाहता हूं कि जो किसान उत्तर प्रदेश से बिहार में आयें या जो बिहार से उत्तर प्रदेश में आयें, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जायें, उन किसानों की जो जमीन है, जो भूमि है उसकी नबैयत पर फर्क नहीं पड़े । मैं इस संशोधन को देना चाहता था लेकिन इस संशोधन को इसलिये प्रस्तुत नहीं कर सका कि फिर लम्बी बहस होगी, लोक सभा में जाय फिर यहां आये वहां आये तो थोड़े से किसानों के लाभ के लिये स्थायी सीमा की जो अवधि है वह बड़ी लम्बी हो जायगी और स्थायी सीमा की बड़ी आवश्यकता है । जिस मौसम में आपने बिल पेश किया है वह बड़ा ही अनुकूल है क्योंकि थोड़े ही दिनों के बाद बाढ़ आयेगी और बाढ़ आने के बाद ज़मीन उधर पड़ेगी तो जब स्थायी सीमा रहेगी तो किसान अपनी भूमि का उपयोग कर सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं और अपने साथी श्री रेवती कान्त सिंह जी से यह प्रार्थना करूंगा कि आपने जो प्रवर समिति में भेजने का सुझाव पेश किया है उसको कृपा करके वापस ले कर के अनुग्रहीत करें ।

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON (Kerala): Sir, even after twenty years we are still faced with a situation in which different States quarrel among themselves for. this or that part of the territory. It is an un-forunate situation in which we are placed. Very often this sort of quarrel between States leads to very serious consequences. It may lead to social tensions, inter-State tensions and occasionally to communal tensions. Why is it that we are in this plight even after twenty years of independence? We have to think of it seriously. It is because the political leadership of the country which held power has been trying to decide issues which are of great importance to the country, to the people, according to the political exigencies of that party. It is because they have not been able to do and think honestly and do the correct thing at the correct time that we are faced with a situation like this. For example, there are still a number of disputes in the country based on linguistic principles. Our party has been, from the beginning, advocating a policy which would have eliminated such conflicts. The essence of that policy is that when we accept the principle of linguistic States, then the boundaries should be so demarcated as would take the village as a unit and territorial continguity as the principle. If we had accepted this princi-

pie for the entire organisation of the country we would not have been faced with a situation like this today where still Maharashtra and Mysore are fighting, Kerala and Mysore are fighting. We still talk all big things, like we are one nation, one people etc. But as a matter of fact when it comes to brass tacks we do not have any principle. We sacrifice our principles for political exigencies. If it is convenient for the Congress Party, they will try to give something from Uttar Pradesh to Bihar or *vice-versa.* If it is convenient for them, they will set up a Mahajan Commission and even without consulting the people of Kerala ask that Mahajan Commission to arbitrate on that issue. This sort of thing has been going on. That is why we say that things cannot be settled like this. If we are to keep the unity of the country, if we are to keep the different States in good humour, if we are to keep them as good neighbours, then we have to accept a certain principle in the demarcation of territories between States, and that principle, as I said, is the principle of taking the village as the unit and the contiguity of the territory. If we do this then we can achieve a number of things. But the point is when it comes to settling issues the usual bourgeois parties do not consider any of these things. They stand only for privileges. They can never fight on principles. They ask for privileges for this section or that section which leads to internecine fights which may ultimately even lead to the destruction of the unity of the country. It is a very serious thing. It is not only on the question of linguistic States but it is also on the question of language, on the question of Centre-State relations and all other questions the attitude of the ruling Congress Party is such that all its efforts are to perpetuate the privileges of one section of the people as against another and to create inequality and discontent...

SHRI NEKI RAM (Haryana): Even in the demarcation of boundary?

SHRI K. P. SUBRAMANIA MENON: Yes, even in demarcation of boundary also that is what you do. That is why I say this sort of piecemeal reorganisation would not do. What is necessary is to go about in a scientific manner, in a realistic manner.

In this connection, I would also like to tell you this that our people in Kerala are not likely to accept the Mahajan Commission report, and if the Government of India tries to impose that report based on Ihe Mahajan Commission on Kerala it will lead to very serious consequences.

श्री बो० एन० मंडल (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, जो बिल अभी हम लोगों के सामने आया हुआ है उसके बारे में एक बात मुझे यह कहनी है कि इस सरकार को सोचना चाहिये कि किस नीति के मुताबिक अपनी कार्यवाही को करें। लेकिन नीति की कोई बात इस बिल के जरिये मालूम होती हो ऐसी कोई बात नहीं है । अभी हाल ही में जो कच्छ अवार्ड हुआ है उसके बारे में पार्लियामेंट के सामने कानून आना चाहिये था लेकिन उसके लिये कोई विधेयक इस पार्लियामेंट के सामने नहीं आया है । महाजन रिपोर्ट भी एक सीमा विवाद को तय करने के लिये हो चुकी है, महाजन कमीशन का फैसला हो चुका है, उस पर भी कोई विधेयक अभी तक नहीं आया हुआ है । बिहार और यू० पी० के बारे में यह विधेयक आया हुआ है । इस विधेयक के बारे में अभी जो रेवती कान्त सिंह जी ने कहा है उससे साफ जाहिर होता है कि बिहार गवर्नमेंट को जिस मुस्तैदी के साथ सीमा निर्धारण के समय जो कुछ करना चाहिये था वह नहीं हुआ । वहां की विधान सभा में जो बहस हुई है उस बहस के सिलसिले में भी यह बात कही गई है ।

अभी कांग्रेस के एक वक्ता ने कहा चूंकि तीन जगह से पास हो गया है

[श्री बी० एन० मंडल]

इसलिये चौथी जगह राज्य सभा में भी इसको पास हो जाना चाहिये । मैं नहीं समझता उनके आर्गुमेंट में कोई तर्क है । अगर चार जगह पास होने की बात है तो इसका मतलब यही है कि हर जगह बहुत छानबीन के साथ इसको पास करना चाहिये । तीन जगह अगर वह पास हो चुका है और चौथी जगह पर यह बिल पहुंचता है तो यहां पर निश्चित तरीके से अच्छी तरह छानबीन कर इस पर मोहर लगाने की जरूरत है । रेवती जी ने जो कुछ कहा है उससे मालूम पड़ता है कि सीमा निर्धारण का कार्य जिस ढंग से होना चाहिये था उसमें गलती हुई है । उनके और श्री जगदंबा यादव के कहने से भी मालूम पड़ता है कि बिहार विधान सभा में जो बहस हुई है उसमें सतर्कता नहीं बरती गई है । अभी शीलभद्र याजी ने जो कुछ कहा, यद्यपि पार्टी डिसिप्लिन के अंदर रहकर इसका समर्थन किया है, लेकिन जो कुछ वह कहते थे उसका मतलब यह था कि कुछ गड़बड़ी इसमें हुई है । जब यह बात करीब करीब निश्चित मालूम पड़ती है कि गड़बड़ी है तो निश्चित तरीके से जो प्रस्ताव रेवतीकांत जी ने लाया हुआ है कि इस बिल को प्रवर समिति में भेजना चाहिये और जो कुछ गड़बड़ी है उसको दूर करके यह बिल पास होना चाहिये इसका मैं समर्थन करता हूं, क्योंकि यहां जो कुछ तय होगा वही आखिरी होगा । चूंकि सीमा निर्धारण में गलती हो सकती है इसलिये किसी के दिल में मलाल न रह जाय, ऐसा काम करना चाहिये । फिर प्रवर समिति में जाकर एक बार फाइनली विचार होकर अगर यह बिल पास होगा तो मैं समझता हूं दोनों प्रान्तों के लोगों को कोई मलाल नहीं होगा और उस पर अमल भी अच्छी तरह से हो सकेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं उनका जो सुझाव है कि बिल को प्रवर समिति को भेजा जाय उसका मैं एक बार फिर समर्थन करता हूं ।

श्री विद्या चरण शुक्ल : उपसभाध्यक्ष जी, मुझे इस विधेयक के बारे में बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों तरफ से जो बिहार के और उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य हैं उन्होंने जो तरह तरह की बहस की उसमें उसका उत्तर भी बहुत कुछ दे दिया है । मैं केवल तीन, चार जो शक की बातें यहां कही गईं या शक का प्रदर्शन किया गया उसके सम्बन्ध में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहूंगा ।

माननीय सदस्य श्री सिंह ने एक संशोधन दिया है और वह चाहते हैं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय । वैसे तो प्रवर समिति को ऐसे विधेयक को देने में हम लोगों को कोई हिचक नहीं होती पर जिस तरह इस विधेयक को बनाया गया, जिस तरह के विचार इसमें किये गये, जिस तरह का इसमें एक समझौता हुआ, कहीं से भी इसमें कोई विरोध नहीं किया गया । इसलिये यह उचित समझा गया कि इसे प्रवर समिति को देने की कोई आवश्यकता नहीं है ।

उन्होंने कुछ वहां के स्थानिक किसानों की कठिनाइयों को बताया और उन्होंने कहा कि नाम बदल दिये गये हैं, कुछ जमीन इधर चली गई है आबादी उस तरफ रह गई है । यह जो तकलीफें माननीय सदस्य ने बताई, वह सचमुच में हैं और उन तकलीफों को हटाने के लिये हमने इस विधेयक में प्रावधान भी किया है । मैं माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि विधेयक की धारा 3, उप धारा (4) को देखें जहां यह साफ लिखा हुआ है कि जो भी गांव है

जिनकी स्थायी सीमा हम निर्धारित कर रहे हैं उन गांवों के जो नाम हैं और उनका जो वर्णन किया गया है वह सब राज्य सरकारों के रिकार्ड के आधार पर बनाये जायेंगे । इस विधेयक को पारित होने के बाद वही नाम रखे जायेंगे और उसको केन्द्र सरकार के गजेट में प्रकाशित किया जायेगा, यानी इसका मतलब यह है कि जो भी यहां पर लिखा गया है, जो अवार्ड के अन्तर्गत उसमें कोई ऐसी चीज रह जाती है कि गलत ढंग से लिख दी गई है या गलत नाम लिख दिया गया है तो सुधारने की गुंजायश इस विधेयक में है और संबंधित सरकारों से परामर्श करके उन सब चीजों को सुधारा जा सकता है ।

जहां तक इस कठिनाई का सवाल है कि कुछ गांव उत्तर प्रदेश में हैं और गांवों की जो कृषि की भूमि है वह बिहार में चली गई या गांव बिहार में रह गये और कृषि की भूमि उत्तर प्रदेश में आ गई, ऐसा कहीं कहीं अवश्य हुआ है, पर ऐसा करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि बिना ऐसा किये जमीन की स्थायी सीमा बनना असम्भव था और जमीन की स्थायी सीमा बनाने के बाद जहां ऐसा हुआ है वहां इसका प्रावधान विधेयक की धारा 26 में किया गया है और उसमें इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कृषि की भूमि बिहार से उत्तर प्रदेश में जाती है तो इस तरह से जाने के बाद भी जो बिहार का राजस्व कानून है वह ही उसमें लागू होगा, यद्यपि वह जमीन उत्तर प्रदेश में चली गई और इसी तरह से जो उत्तर प्रदेश की भूमि बिहार में गई है वहां पर भी उत्तर प्रदेश के राजस्व कानून लागू होंगे जिससे कोई पुराना सेटलमेंट जो हुआ है उसमें कुछ गड़बड़ न हो । उसके कारण किसानों को कोई तकलीफ न हो और रेवेन्यू के कानून में किसानों को कोई तकलीफ नहीं हो, इस तरह का प्रावधान किया गया है।

जैसा कि प्रारम्भ में बिल पेश करते समय मैंने कहा, हम लोगों का प्रयत्न यही रहा है कि ज्यादा से ज्यादा इसमें एक मत हो और किसी तरह से किसी भी भाग के लिये उसमें कोई अन्याय न हो । इसमें तो मुझे इस बात की खुशी है कि सब सदस्यों ने कहा कि किसी को इस बात की आपत्ति नहीं है कि कितनी जमीन बिहार में जाती है या उत्तर प्रदेश में जाती है, कौन गांव इधर रहता है, कौन उधर रहता है । सब माननीय सदस्यों को केवल इस बात की चिंता थी कि इस विधेयक के द्वारा जो तकलीफ हम दूर करना चाहते हैं वह बढ़ न जाय । मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रयत्न किया है कि जो तकलीफ इस समय मौजूद है उसको जहां तक हम कम कर सकते हैं उसको कम करने का प्रयत्न किया है । वैसे तो अनुभव हमको बतायेगा कि हम लोगों की उम्मीद कहां तक ठीक है या नहीं पर उम्मीद हम यह करते हैं कि इस विधेयक के पास होने के बाद और भूमि की स्थाई सीमा बन जाने के बाद हमारे किसान जो इस इलाके में बहुत दिनों से मुश्किलों में रह रहे हैं, तकलीफों में रह रहे हैं, वे तकलीफें दूर होंगी और इसका नतीजा है बिहार और उत्तर प्रदेश, दोनों प्रदेशों के रहने वाले जो सीमावर्ती किसान हैं उनको इससे बहुत फायदा होगा ।

श्री सुब्रह्मण्य साहब जो अभी केरल से चुन कर आए हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी (मार्कसिस्ट) के सदस्य हैं, उन्होंने कुछ महाजन कमेटी के बारे में कहा । मैं तो समझता हूं कि इस विधेयक से, यह जो विषय हमारे सामने है, उससे इस चीज का मतलब नहीं । दोनों की समस्याएं अलग अलग हैं, दोनों की जो बातें हैं वह

[श्री विद्या चरण शुक्ल]

अलग अलग हैं। वहां तो पूरे एक समझौते के अनुसार काम हो रहा है । वहां किसी तरह का समझौता नहीं हो रहा है । जहां समझौते से कोई चीज की जाती है या बिल लाया जाता है उसमें और इस चीज मे जहां कोई समझौता संभव नहीं होता, उन दोनों मे तुलना करना यह एक गलत प्रवृति का द्योतक है और मैं उनसे निवेदन करूंगा, इस तरह की चीजों में ऐसी कोई विवादास्पद चीजें न लाएं जिससे इस चीज के पास होने में या किसी तरह का इसमें जो हम एक सद्भावना पैदा करना चाहते हैं उसमें किसी तरह की रोक या रुकावट पड़े ।

मैं आशा करता हूं कि इस स्पष्टीकरण के बाद माननीय सदन इस बिल को सर्व-सम्मत्ति से पास करेगा ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I shall now first put the amendment to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matter connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be referred to a Select Committee of the Rajya Sabha consisting of 15 Members, namely:

1. Shri B. K. P. Sinha
2. Shri Sheel Bhadra Yajee
3. Shri Chaudhary A. Mohammad
4. Shri Anant Prasad Sharma
5. Shri Suraj Prasad
6. Shri B. N. Mandal
7. Shri A. D. Mani
8. Shri Banka Behary Das
9. Shri J. P. Yadav
10. Shri R. N. Jha
11. Shri Rajnarain
12. Shri Balkrishna Gupta
13. Shri Chitta Basu
14. Shri G. Murahari
15. Shri D. Thengari

with instructions to report by the last day of the first week of the next session."

The motion was negatived.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): I shall now put the motion to vote. The question is:

"That the Bill to provide for the alteration of boundaries of the States of Bihar and Uttar Pradesh and for matters connected therewith, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): We shall now take up the clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 *to* 36 and *the Schedule were added to the Bill.*

Clause 1, *the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि इस विधेयक को पास किया जाये ।"

t[I move; "That the Bill be passed."]

SHRI AKBAR ALI KHAN: Sir, I am very happy to know that there is at least one matter between the two States which has been agreed to by the respective States and we are now passing this Bill. There are several matters pending regarding t river waters and boundaries. I dp hope the lead given by these two States will be followed up in other matters. It is always better to have such matters settled by the States themselves. That is much better than giving it to arbitration. But if for some reason the matter is not settled by the two States, I think the only alternative, the only reasonable and just alternative according to the Constitution is that we entrust it to

t[ ] English translation.

somebody who will give an impartial decision. In this matter, we all know Mr. Trivedi. A very good decision has been given. When we entrust it, we entrust it with full confidence that everybody concerned will follow it, whether in some minor part it is agreeable or not agreeable. I think in minor matters which have been referred to by some of my friends, I am sure both the Governments will look into them and see that they give the greatest convenience and comfort to the *rayyats* of both the States but this can be attended to only after this Bill is passed. So with great pleasure, Sir, I commend this Bill for approval and I am happy that a good lead is being given. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): The question is:

"That the Bill be passed." *The motion was adopted.*

THE CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE BILL, 1966— contd.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRJ, M. P. BHARGAVA): Now we go to the next Bill. Mr. Chitta Basu has finished with his amendment. Then Mr. Bhupesh Gupta, who is not here, said that he was speaking. *(Interruptions.)* Mr. Chatterjee. Clause 14.

SHRI A. P. CHATTERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, now before this House clause 14 of the Bill is for consideration. You know, Sir, that there was a Joint Committee of the two Houses on this Bill and that Joint Committee heard various witnesses for evidence. Now, I think, from the Report of the Joint Committee it would be quite clear to this House that the Central Industrial Security Force Bill is merely the dream-child of one Mr. Dutt. I think that it was one of his brainwaves to have produced this Bill..

310 RS—8.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI M. P. BHARGAVA): We are on clause 14 of the Bill.

SHRI A. P. CHATTERJEE: Just a preamble, Sir. Now, Mr. Vice-Chairman, as far as clause 14 is concerned, I think that even if this House decides to delete clause 14, it would not detract or take away from the value of the Bill as far as the sub-ject-matter of the Bill is concerned. Of course, as a Member of the Joint Committee I have given a Minute of Dissent. I am against the whole Bill lock, stock and barrel. I am certainly not in favour of any of the clauses and I feel that this Bill should be rejected. But as the other clauses have been passed, naturally I am stopped from speaking on those clauses. But as far as this clause is concerned, clause 14, it is of sinister significance. This clause reads like this:

"It shall be lawful for the Inspector-General, on a request received in this behalf from the Managing Director concerned of an industrial undertaking in public sector, showing the necessity thereof, to depute such number of supervisory officers and members of the Force as the Inspector-General may consider necessary for the protection and security of that industrial undertaking . . ."

Now, Sir, what I submit to you is that knowing the Managing Directors of the public sector undertakings as we do and as many Members of this House do, it will be very risky to entrust the task of calling the secu-rity force or supervisory officers to such Managing Directors. I know, for example, one Managing Director of Durgapur Project Limited. It is a Bengal concern, a public sector undertaking. I know that this Mr. Neogy, who has been riding this public sector undertaking like an incubus, what a sorry figure he has cut not only for himself but for the entire public sector undertaking, sorry not in any sense of sympathy, nor in any sense of commiseration. What I want